

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881

)1881 का अधिनियम संख्यांक 26⁽¹⁾

[9 दिसम्बर, 1881]

वचन-पत्रों, विनियम-पत्रों और चेकों से संबंधित विधि
को परिभाषित और संशोधित
करने के लिए
अधिनियम

उद्देशिका—वचन-पत्रों, विनियम-पत्रों और चेकों से संबंधित विधि को परिभाषित और संशोधित करना समीचीन है;
अतः एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम—यह अधिनियम परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 कहा जा सकेगा।

स्थानीय क्षेत्र—हुण्डियों आदि से सम्बन्धित प्रथाओं की व्यावृत्ति—प्रारम्भ—इसका विस्तार² सम्पूर्ण भारत पर है; किन्तु इसमें अन्तर्विष्ट कोई भी बात इंडियन पेपर करेंसी ऐक्ट, 1871 (1871 का 3)³ की धारा 21 पर या किसी प्राच्य भाषा में की किसी भी लिखत से संबंधित किसी भी स्थानीय प्रथा पर प्रभाव नहीं डालता: परन्तु ऐसी प्रथाएं लिखत के निकाय के किन्हीं भी ऐसे शब्दों द्वारा, जिनसे यह आशय उपदर्शित हो कि उसके पक्षकारों के विधिक संबंध इस अधिनियम द्वारा शासित होंगे, अपवर्जित की जा सकेगी; और यह पहली मार्च, 1882 को प्रवृत्त होगा।

2. [अधिनियमितियों का निरसन।]—निरसन अधिनियम, 1891 (1891 का 2) की धारा 2 तथा अनुसूची 1, भाग 1 द्वारा निरसित।

3. निर्वचन खण्ड—इस अधिनियम में—

4* * * *

“बैंककार”—⁵“बैंककार” के अन्तर्गत बैंककार के तौर पर कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति और कोई भी डाक घर बचत बैंक आता है।

6* * * *

अध्याय 2

वचन-पत्रों, विनियम-पत्रों और चेकों के विषय में

4. “वचन-पत्र”—“वचन-पत्र” (बैंक-नोट या करेंसी-नोट न होने वाली) ऐसी लेखबद्ध लिखत है जिसमें एक निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार या उस लिखत के वाहक को धन की एक निश्चित राशि संदत्त करने का उसके रचयिता द्वारा हस्ताक्षरित अशर्त वचन अन्तर्विष्ट हो।

दृष्टांत

क निम्नलिखित शब्दों वाली लिखतों पर हस्ताक्षर करता है :—

(क) “मैं ख को या उसके आदेशानुसार 500 रुपए संदत्त करने का वचन देता हूँ।”

¹ इस अधिनियम का, 1962 के विनियम सं० 12 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा गोवा, दमण और दीव पर उपान्तरणों सहित विस्तार किया गया, 1963 के विनियम सं० 6 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा (1-7-1965 से) दादरा और नागर हवेली पर और 1965 के विनियम सं० 8 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा (1-10-1967 से) लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र पर विस्तार किया गया और उसे प्रवृत्त किया गया।

² 1956 के अधिनियम सं० 62 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा “जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय” शब्दों का, जो 1951 के अधिनियम सं० 3 द्वारा “भाग ग राज्यों के सिवाय” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किए गए थे, लोप किया गया।

³ इंडियन पेपर करेंसी ऐक्ट, 1923 (1923 का 10) द्वारा निरसित। अब देखिए भारत रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 31।

⁴ 1956 के अधिनियम सं० 62 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा शब्द “भारत” की परिभाषा का, जिसे 1951 के अधिनियम सं० 3 द्वारा शब्द “राज्य” की परिभाषा के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था, लोप किया गया।

⁵ 1955 के अधिनियम सं० 37 की धारा 2 द्वारा शब्द “बैंककार” की परिभाषा के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁶ 1952 के अधिनियम सं० 53 की धारा 16 द्वारा (14-2-1956 से) लोप किया गया।

(ख) “मैं स्वीकार करता हूँ कि प्राप्त मूल्य के लिए मैं ख का एक हजार रुपए का ऋणी हूँ जो मांग पर संदत्त किए जाने हैं।”

(ग) “श्री ख मैं, आपका 1,000 रुपए का देनदार हूँ।”

(घ) “मैं ख को 500 रुपए और वे अन्य सब राशियां जो उसे शोध्य होंगी, संदत्त करने का वचन देता हूँ।”

(ङ) “मैं ख को 500 रुपए, उसमें से पहले वह धन काटकर, जिसको वह मुझे देनदार हो, संदत्त करने का वचन देता हूँ।”

(च) “ग के साथ अपने विवाह के 7 दिन के पश्चात् मैं ख 500 रुपए संदत्त करने का वचन देता हूँ।”

(छ) “मैं घ की मृत्यु पर ख को 500 रुपए देने का वचन देता हूँ : परन्तु यह तब जबकि घ वह राशि संदत्त करने के लिए पर्याप्त धन मेरे लिए छोड़ जाए।”

(ज) “मैं वचन देता हूँ कि मैं निकटतम आगामी पहली जनवरी को ख को 500 रुपए संदत्त करूंगा और अपना काला घोड़ा उसे परिदत्त करूंगा।”

क्रमशः (क) और (ख) से अंकित लिखत वचन-पत्र है। क्रमशः (ग), (घ) (ङ), (च), (छ) और (ज) से अंकित लिखत वचन-पत्र नहीं हैं।

5. “विनिमय-पत्र”—“विनिमय-पत्र” ऐसी लेखबद्ध लिखत है जिसमें एक निश्चित व्यक्ति को यह निदेश देने वाला उसके रचयिता द्वारा हस्ताक्षरित अर्थात् आदेश, अन्तर्विष्ट हो कि वह एक निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार या उस लिखत के वाहक को ही धन की एक निश्चित राशि संदत्त करे।

संदाय करने का वचन या आदेश इस धारा और धारा 4 के अर्थ में इस कारण “सशर्त” नहीं है कि उस रकम या उसकी किसी किस्त के संदाय के समय के बारे में यह अभिव्यक्त है कि वह किसी ऐसी विनिर्दिष्ट घटना के होने के पश्चात् एक निश्चित कालावधि के बीत जाने पर होगा जो मामूली मानवीय प्रत्याशा के अनुसार अवश्यम्भावी है, यद्यपि उसके होने का समय अनिश्चित हो।

देय राशि इस धारा और धारा 4 के अर्थ में “निश्चित” मानी जा सकेगी, यद्यपि उसके अन्तर्गत भावी व्याज हो या वह विनिमय की उपदर्शित दर पर देय हो या विनिमय के अनुक्रम के अनुसार हो और यद्यपि लिखत में यह उपबंध हो कि किसी किस्त के संदाय में व्यतिक्रम होने पर अदत्त अतिशेष शोध्य हो जाएगा।

वह व्यक्ति, जिसके बारे में यह स्पष्ट है कि उसे निदेश दिया गया है या संदाय किया जाना है, इस धारा और धारा 4 के अर्थ में एक “निश्चित व्यक्ति” माना जा सकेगा यद्यपि उसका नाम अशुद्ध दिया गया हो या वह केवल वर्णन द्वारा ही अभिहित हो।

1[6. चेक—एक ऐसा विनिमय-पत्र है जो विनिर्दिष्ट बैंककार पर लिखा गया है और उसका मांग पर से अन्यथा देय होना अभिव्यक्त नहीं है और इसके अंतर्गत संक्षेपित चेक का इलैक्ट्रानिक प्रतिरूप और इलैक्ट्रानिक रूप में, चेक भी है।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

²[(क) “इलैक्ट्रानिक रूप में चेक” से किसी कंप्यूटर साधन का उपयोग करके इलैक्ट्रानिक माध्यम से लिखा गया और किसी सुरक्षित प्रणाली में अंकीय चिह्नक (जैवमिति चिह्नक सहित या उसके बिना) सहित तथा, यथास्थिति, असममित गूढ़ प्रणाली या इलैक्ट्रानिक चिह्नक सहित लिखा गया कोई चेक अभिप्रेत है;]

(ख) “संक्षेपित चेक” से ऐसा चेक अभिप्रेत है जिसे समाशोधन चक्रण के अनुक्रम में, समाशोधन गृह द्वारा या बैंक द्वारा, पारेषण के लिए किसी इलैक्ट्रानिक प्रतिरूप के उत्पादन पर तत्काल संदाय करे या प्राप्त करके, चेक का आगे का वास्तविक संचलन लिखत में प्रतिस्थापित करके, संक्षेपित किया गया है;

स्पष्टीकरण 2—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “समाशोधन गृह” पद से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृह या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उस रूप में मान्यताप्राप्त समाशोधन गृह अभिप्रेत है।]

³**स्पष्टीकरण 3**—इस धारा के प्रयोजन के लिए, “असममित गूढ़ प्रणाली”, “कंप्यूटर साधन”, “अंकीय चिह्नक”, “इलैक्ट्रानिक रूप” और “इलैक्ट्रानिक चिह्नक” के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में उनके हैं।]

7. “लेखीवाल”। “ऊपरवाल”—विनिमय-पत्र या चेक का रचयिता उसका “लेखीवाल” कहलाता है, संदाय करने के लिए तद्द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति “ऊपरवाल” कहलाता है।

¹ 2002 के अधिनियम सं० 55 की धारा 2 द्वारा (6-2-2003 से) प्रतिस्थापित।

² 2015 के अधिनियम सं० 26 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

³ 2015 के अधिनियम सं० 26 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

“जिकरीवाल”—जब कि विनिमय-पत्र में या उस पर के किसी पृष्ठांकन में ऊपरवाल के अतिरिक्त किसी व्यक्ति का नाम दिया हुआ है जिसके पास आवश्यकता पड़ने पर लेनगी के लिए माना जाना है तब ऐसा व्यक्ति “जिकरीवाल” कहलाता है।

“प्रतिगृहीता”—विनिमय-पत्र पर या यदि उसकी एक से अधिक मूल प्रतियां हों तो ऐसी मूल प्रतियों में से एक पर विनिमय-पत्र के ऊपरवाल द्वारा उसकी अनुमति हस्ताक्षरित कर दी जाने के पश्चात् और धारक को या तन्निमित्त किसी व्यक्ति को उसका परिदान करने के पश्चात् या ऐसे हस्ताक्षर की सूचना करने के पश्चात् विनिमय-पत्र का ऊपरवाल “प्रतिगृहीता” कहलाता है।

“आदरणार्थ प्रतिगृहीता”—¹[जब कि विनिमय-पत्र अप्रतिग्रहण के लिए या बेहतर प्रतिभूति के लिए टिप्पणित या प्रसाक्षित हो गया है] और लेखीवाल या उसके पृष्ठांकनों में से किसी के आदरणार्थ उसे कोई व्यक्ति प्रसाक्ष्याधीन प्रतिगृहीत करता है तो ऐसा व्यक्ति “आदरणार्थ प्रतिगृहीता” कहलाता है।

“पानेवाला”—लिखत में नामित वह व्यक्ति जिसे या जिसके आदेश पर धन संदत्त किया जाना है लिखत द्वारा विनिर्दिष्ट हो, “पानेवाला” कहलाता है।

8. “धारक”—वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चेक के “धारक” से कोई भी ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्वयं अपने नाम से उस पर कब्जा रखने का और उस पर शोध्य रकम उसके पक्षकारों से प्राप्त करने या वसूल करने का हकदार है।

जहां कि वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चेक खो जाता है या नष्ट हो जाता है, वहां उसका धारक वह व्यक्ति है जो कि ऐसे खो जाने या नष्ट होने के समय ऐसा हकदार था।

9. “सम्यक्-अनुक्रम-धारक”—“सम्यक्-अनुक्रम-धारक” से कोई भी ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो—

वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चेक में वर्णित रकम के देय होने से पूर्व और यह विश्वास करने का कि जिस व्यक्ति से उसे अपना हक व्युत्पन्न हुआ है उस व्यक्ति के हक में कोई त्रुटि वर्तमान थी पर्याप्त हेतुक रखे बिना,

उस दशा में, जिसमें कि वह वाहक को देय है, उस पर प्रतिफलार्थ काबिज हो गया है,

अथवा उस दशा में, जिसमें कि वह ²[आदेशानुसार देय] है, उसका पानेवाला या पृष्ठांकित हो गया है।

10. “सम्यक्-अनुक्रम में संदाय”—“सम्यक्-अनुक्रम में संदाय” से लिखत पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति को उस लिखत के प्रकट शब्दों के अनुसार सद्भावपूर्वक और उपेक्षा किए बिना ऐसी परिस्थितियों में किया गया संदाय अभिप्रेत है जिससे यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार नहीं पैदा होता है कि वह उसमें वर्णित रकम का संदाय पाने का हकदार नहीं है।

11. “अन्तर्देशीय लिखत”—भारत में लिखित या रचित और ³[भारत] में देय किया गया या ³[भारत] में निवासी किसी व्यक्ति पर लिखित वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चेक अन्तर्देशीय लिखत समझा जाएगा।

12. “विदेशी लिखत”—ऐसी कोई लिखत, जो ऐसे लिखित, रचित या देय रचित नहीं है विदेशी लिखत समझी जाएगी।

13. “परक्राम्य लिखत”—⁴[(1) “परक्राम्य लिखत” से या तो आदेशानुसार या वाहक को देय वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चेक अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण (i)—वह वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चेक आदेशानुसार देय है जिसका ऐसे देय होना अभिव्यक्त हो या जिसका किसी विशिष्ट व्यक्ति को देय होना अभिव्यक्त हो और जिसमें अन्तरण को प्रतिषिद्ध करने वाले शब्द या यह आशय उपदर्शित करने वाले शब्द कि वह अन्तरणीय नहीं है, अन्तर्विष्ट न हों।

स्पष्टीकरण (ii)—वह वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चेक वाहक को देय है जिसमें यह अभिव्यक्त हो कि वह ऐसे देय है या जिस पर एकमात्र या अन्तिम पृष्ठांकन निरंक पृष्ठांकन है।

स्पष्टीकरण (iii)—जहां कि वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चेक का या तो मूलतः या पृष्ठांकन द्वारा विनिर्दिष्ट व्यक्ति के आदेशानुसार, न कि उसे या उसके आदेशानुसार देय होना अभिव्यक्त है वहां ऐसा होने पर भी वह उसके विकल्प पर उसे या उसके आदेशानुसार संदेय है।]

⁵[(2) परक्राम्य लिखत दो या अधिक पाने वालों को संयुक्ततः देय रचित की जा सकेगी या वह अनुकल्पतः दो पाने वालों में से एक को या कई पाने वालों में से एक को या कुछ को देय रचित की जा सकेगी।]

14. परक्रामण—जब कि वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चेक किसी व्यक्ति को ऐसे अन्तरित कर दिया जाता है कि वह व्यक्ति उसका धारक हो जाता है, तब वह लिखत परक्रामित कर दी गई है, यह कहा जाता है।

¹ 1885 के अधिनियम सं० 2 की धारा 2 द्वारा “जब कि प्रतिग्रहण इन्कार कर दिया गया है और पत्र अप्रतिग्रहण के लिए प्रसाक्षित हो गया है” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² 1919 के अधिनियम सं० 8 की धारा 2 द्वारा “पाने वाला को देय या उसको आदेश” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ 1957 के अधिनियम सं० 36 की धारा 3 तथा अनुसूची 2 द्वारा “राज्य” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁴ 1919 के अधिनियम सं० 8 की धारा 3 द्वारा मूल उपधारा के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁵ 1914 के अधिनियम सं० 5 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

15. पृष्ठांकन—जबकि परक्राम्य लिखत का रचयिता या धारक ऐसे रचयिता के रूप में, हस्ताक्षर करने से अन्यथा, परक्राम्य के प्रयोजन के लिए उसके पृष्ठ पर या मुख-भाग पर या उससे उपाबद्ध कागज की परची पर हस्ताक्षर करता है या परक्राम्य लिखत के रूप में पूर्ति किए जाने के लिए आशयित स्टाम्प-पत्र पर उसी प्रयोजन के लिए ऐसे हस्ताक्षर करता है तब यह कहा जाता है कि वह उसे पृष्ठांकित करता है और वह “पृष्ठांकक” कहलाता है।

16. “निरंक” पृष्ठांकन और “पूर्ण” पृष्ठांकन—¹[(1)] यदि पृष्ठांकक केवल अपना नाम हस्ताक्षरित करता है तो पृष्ठांकन “निरंक” कहलाता है। और यदि वह लिखत वर्णित रकम किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार संदत्त करने का निदेश जोड़ देता है तो पृष्ठांकन “पूर्ण” कहलाता है, और ऐसा विनिर्दिष्ट व्यक्ति लिखत का “पृष्ठांकित” कहलाता है।

पृष्ठांकित—²[(2)] इस अधिनियम के जो उपबन्ध पाने वाले से संबंधित हैं वे पृष्ठांकित को आवश्यक उपान्तरो सहित लागू होंगे।]

17. संदिग्धार्थी लिखत—जहां कि लिखत का अर्थ वचन-पत्र या विनिमय-पत्र दोनों लगाया जा सकता है वहां धारक अपने निर्वाचन द्वारा उसे दोनों में से किसी भी रूप में बरत सकेगा और तत्पश्चात् वह लिखत तदनुसार बरती जाएगी।

18. जहां कि रकम अंकों और शब्दों में भिन्नतः कथित है—यदि वह रकम, जिसके संदत्त किए जाने का वचन या आदेश दिया गया है, अंकों और शब्दों में भिन्नतः कथित है तो शब्दों में कथित रकम वह होगी जिसके संदत्त किए जाने का वचन या आदेश दिया गया है।

19. मांग पर देय लिखत—वह वचन-पत्र या विनिमय-पत्र, जिसमें संदाय का कोई समय विनिर्दिष्ट नहीं है, और चेक, मांग पर देय होते हैं।

20. स्टाम्पित अधूरी लिखत—जहां कि एक व्यक्ति [भारत] में परक्राम्य लिखत-संबंधी तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार, स्टाम्पित और या तो पूर्णतः निरंक या उस पर अपूरित परक्राम्य लिखत लिखकर कोई कागज हस्ताक्षरित करता है और किसी दूसरे को परिदत्त कर देता है जहां वह उसके धारक को तद्द्वारा यह प्रथमदृष्ट्या प्राधिकार देता है कि वह किसी भी रकम के लिए जो उसमें विनिर्दिष्ट हो, और उस रकम से अधिक न हो जिसके लिए वह स्टाम्प पर्याप्त है, परक्राम्य लिखत उस पर, यथास्थिति, रच ले या पूर्ण कर ले। ऐसे हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति अपनी उस हैसियत में, जिसमें उसने उस पर हस्ताक्षर किया, किसी भी सम्यक्-अनुक्रम-धारक के प्रति ऐसी रकम के लिए ऐसी लिखत पर दायी होगी, परन्तु सम्यक्-अनुक्रम-धारक से भिन्न कोई भी व्यक्ति लिखत परिदत्त करने वाले व्यक्ति से उस रकम से अधिक कुछ वसूल न करेगा जो उसके द्वारा तद्धीन संदत्त की जाने के लिए आशयित थी।

21. “दर्शन पर” — “उपस्थापन पर” — “दर्शनोपरान्त”—वचन-पत्र या विनिमय-पत्र में “दर्शन पर” और “उपस्थापन पर” शब्दों से मांग पर अभिप्रेत है। “दर्शनोपरान्त” शब्द से वचन-पत्र में दर्शनार्थ उपस्थापन के पश्चात् तथा विनिमय-पत्र में प्रतिग्रहण के या अप्रतिग्रहण के लिए टिप्पण या अप्रतिग्रहण के लिए प्रसाक्ष्य के पश्चात् अभिप्रेत है।

22. “परिपक्वता”—वचन-पत्र या विनिमय-पत्र की परिपक्वता उस तारीख को होती है जिसको वह शोध्य हो जाता है।

अनुग्रह दिवस—हर वचन-पत्र या विनिमय-पत्र की, जिसका मांग पर, दर्शन पर या उपस्थापन पर देय होना अभिव्यक्त नहीं है, परिपक्वता उस तारीख के तीसरे दिन होती है जिसको उसका देय होना अभिव्यक्त है।

23. जो विनिमय-पत्र या वचन-पत्र तारीख या दर्शन से इतने मास के पश्चात् देय है उसकी परिपक्वता की गणना—उस तारीख की गणना करने में, जिसको वह वचन-पत्र या विनिमय-पत्र, जो ऐसे रचित है कि वह तारीख या दर्शन से निश्चित मासों की संख्या या किसी निश्चित घटना के पश्चात् देय है, परिपक्व हो जाता है वह कथित कालावधि, मास के उसी दिन को, जो लिखत की तारीख का है या जिसको लिखत प्रतिग्रहण या दर्शन के लिए उपस्थापित की गई है या अप्रतिग्रहण के लिए टिप्पणित है या अप्रतिग्रहण के लिए प्रसाक्ष्य की गई है या वह घटना होती है या जहां लिखत दर्शन के कथित संख्या के मास पश्चात् देय होने वाला विनिमय-पत्र है और आदरणार्थ प्रतिगृहीत किया गया है वहां उस तारीख वाले दिन को, जिसको वह ऐसे प्रतिगृहीत की गई थी, पर्यवसित समझी जाएगी। यदि जिस मास में वह कालावधि पर्यवसित होगी, उसमें वह तारीख वाला दिन नहीं है तो वह कालावधि ऐसे मास के अन्तिम दिन को पर्यवसित समझी जाएगी।

दृष्टान्त

(क) 29 जनवरी, 1878 तारीख की एक परक्राम्य लिखत ऐसे रचित है कि वह उस तारीख के एक मास के पश्चात् देय है। लिखत 28 फरवरी, 1878 के पश्चात् तीसरे दिन परिपक्व हो जाती है।

(ख) 30 अगस्त, 1878 तारीख की एक परक्राम्य लिखत ऐसे रचित है कि वह उस तारीख के तीन मास पश्चात् देय है। लिखत 3 दिसम्बर, 1878 को परिपक्व हो जाती है।

(ग) 31 अगस्त, 1878 तारीख का एक वचन-पत्र ऐसे रचित है कि वह उस तारीख के तीन मास पश्चात् देय है। लिखत 3 दिसम्बर, 1878 को परिपक्व हो जाती है।

¹ 1914 के अधिनियम सं० 5 की धारा 3 द्वारा धारा 16 उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित।

² 1914 के अधिनियम सं० 5 की धारा 3 द्वारा धारा 16 अन्तःस्थापित।

³ 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा “राज्यों” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

24. जो विनिमय-पत्र या वचन-पत्र तारीख या दर्शन से इतने दिनों के पश्चात् देय है उसकी परिपक्वता की गणना—उस तारीख की गणना करने में, जिसको वह वचन-पत्र या विनिमय-पत्र जो ऐसे रचित है कि वह तारीख से या दर्शन से या किसी निश्चित घटना से दिनों की निश्चित संख्या के पश्चात् देय है, परिपक्व हो जाता है, उस तारीख का या प्रतिग्रहण या दर्शन के लिए उपस्थापित करने का या अप्रतिग्रहण के लिए प्रसाध्य का दिन या वह दिन, जिस दिन वह घटना घटित होती है, अपवर्जित कर दिया जाएगा।

25. जब कि परिपक्वता का दिन लोक अवकाश दिन है—जब कि वह दिन, जिसको कोई वचन-पत्र या विनिमय-पत्र परिपक्व हो जाएगा लोक अवकाश दिन हो तब लिखत निकटतम पूर्व कारबार वाले दिन शोध्य समझी जाएगी।

स्पष्टीकरण—“लोक अवकाश दिन” पद के अन्तर्गत रविवार ^{1****} आता है और ऐसा कोई भी अन्य दिन आता है जिसे [केन्द्रीय सरकार] ने शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा लोक अवकाश दिन घोषित किया है।

अध्याय 3

वचन-पत्रों, विनिमय-पत्रों और चेकों के पक्षकार

26. वचन-पत्र आदि रचने आदि के लिए सामर्थ्य—ऐसा हर व्यक्ति, जो उस अवधि के अनुसार, जिसके वह अध्यक्षीन है, संविदा करने के लिए समर्थ है, वचन-पत्र, विनिमय-पत्र, या चेक की रचना, लेखन, प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन, परिदान और परक्रामण करके अपने को आवद्ध कर सकेगा और आवद्ध हो सकेगा।

अप्राप्तवय—अप्राप्तवय ऐसी लिखत का लेखन, पृष्ठांकन, परिदान और परक्रामण ऐसे कर सकेगा कि स्वयं उसके सिवाय सब पक्षकार आवद्ध हो जाएं।

एतस्मिन् अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी निगम को इस बात के लिए सशक्त करने वाली न समझी जाएगी कि वह ऐसी दशाओं के सिवाय, जिसमें वह तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन ऐसा करने के लिए सशक्त हो ऐसी लिखतों का लेखन, पृष्ठांकन या प्रतिग्रहण कर सके।

27. अभिकरण—ऐसा हर व्यक्ति, जो अपने को आवद्ध करने के लिए या आवद्ध होने के लिए इस प्रकार समर्थ है, जैसा धारा 26 में वर्णित है, सम्यक् रूप से ऐसे प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा अपने आप को आवद्ध कर सकेगा या आवद्ध हो सकेगा जो उसके नाम में काम कर रहा है।

कारबार संव्यवहृत करने और ऋणों को प्राप्त करने और उन्मोचित करने के लिए साधारण प्राधिकार से विनिमय-पत्र का ऐसा प्रतिग्रहण या पृष्ठांकन करने की शक्ति अभिकर्ता को प्राप्त नहीं होती जिससे उसका मालिक आवद्ध हो जाए।

विनिमय-पत्रों के लिखने के प्राधिकार से स्वतः ही यह विवक्षित नहीं होता कि उसमें पृष्ठांकन करने का प्राधिकार है।

28. हस्ताक्षर करने वाले अभिकर्ता का दायित्व—वह अभिकर्ता, जो किसी वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चेक पर अपना नाम उस पर यह उपदर्शित किए बिना कि वह अभिकर्ता की हैसियत से हस्ताक्षर कर रहा है या यह कि उसका आशय एतद्द्वारा वैयक्तिक उत्तरदायित्व उपगत करने का नहीं है, हस्ताक्षरित करता है वह उस लिखत पर वैयक्तिक रूप से दायी है किन्तु वह उन लोगों के प्रति ऐसे दायी नहीं है, जिन्होंने उसे इस विश्वास पर हस्ताक्षर करने के लिए उत्प्रेरित किया कि केवल मालिक ही दायी ठहराया जाएगा।

29. हस्ताक्षर करने वाले विधिक प्रतिनिधि का दायित्व—मृतक व्यक्ति को जो विधिक प्रतिनिधि वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चेक पर अपना नाम हस्ताक्षर करता है वह उस पर वैयक्तिक रूप से दायी है जब तक कि वह अपना दायित्व अपनी उस हैसियत में उसे प्राप्त आस्तियों के विस्तार तक अभिव्यक्ततः परिसीमित न कर ले।

30. लेखीवाल का दायित्व—विनिमय-पत्र या चेक का लेखीवाल उसके ऊपरवाल या प्रतिगृहीता द्वारा उसके अनादृत किए जाने पर उसके धारक को प्रतिकर देने के लिए आवद्ध है, परन्तु यह तब जबकि लेखीवाल को अनादर की सम्यक् सूचना एतस्मिन्-पश्चात् उपबंधित रूप में दे दी गई या प्राप्त हो गई हो।

31. चेक के ऊपरवाल का दायित्व—चेक के लेखीवाल की ऐसी पर्याप्त निधियां, जो ऐसे चेक के संदाय के लिए उचित रूप में उपयोजित की जा सकती हों, अपने पास रखने वाले चेक के ऊपरवाल को अपने से ऐसा करने के लिए सम्यक् रूप से अपेक्षा की जाने पर चेक का संदाय करना होगा और ऐसे संदाय में व्यतिक्रम होने पर ऐसे व्यतिक्रम से हुई किसी भी हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर उसे लेखीवाल को देना होगा।

32. वचन-पत्र के रचयिता और विनिमय-पत्र के प्रतिगृहीता का दायित्व—तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो वचन-पत्र का रचयिता और विनिमय-पत्र के परिपक्व होने के पूर्व उसका प्रतिगृहीता क्रमशः वचन-पत्र या प्रतिग्रहण के प्रकट शब्दों के अनुसार उसकी परिपक्वता पर उसकी रकम और विनिमय-पत्र का प्रतिगृहीता उसकी परिपक्वता पर या परिपक्वता के पश्चात् उसकी रकम धारक को मांग पर संदत्त करने के लिए आवद्ध है।

¹ 1955 के अधिनियम सं० 37 की धारा 3 द्वारा (1-4-1956 से) “नव वर्ष दिवस, क्रिसमस दिवस, यदि दोनों में से कोई दिन रविवार को पड़ता है तो ठीक अगला सोमवार; गुडफ्राइडे” शब्दों का लोप किया गया।

² भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “स्थानीय सरकार” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

पूर्वोक्त जैसे संदाय में व्यतिक्रम होने पर ऐसा रचयिता या प्रतिगृहीता वचन-पत्र या विनिमय-पत्र के किसी भी पक्षकार को किसी ऐसी हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर देने के लिए आबद्ध है जो उसे उठाना पड़ा है और ऐसे व्यतिक्रम से हुआ है।

33. केवल ऊपरवाल आवश्यकता में के या आदरणार्थ होने के सिवाय प्रतिगृहीता हो सकता है—विनिमय-पत्र के ऊपरवाल या कई ऊपरवालों में से सब या कुछ या जिकरीवाल या आदरणार्थ प्रतिगृहीता के रूप में उसमें नामित व्यक्ति के सिवाय कोई भी व्यक्ति प्रतिग्रहण द्वारा अपने को आबद्ध नहीं कर सकता।

34. जो ऊपरवाल भागीदार नहीं हैं उन द्वारा प्रतिग्रहण—जहां कि विनिमय-पत्र के कई ऐसे ऊपरवाल हैं, जो भागीदार नहीं हैं, वहां उनमें से हर एक उसे अपने लिए प्रतिगृहीत कर सकता है किन्तु उनमें से कोई भी उसे किसी दूसरे के लिए उसके प्राधिकार के बिना प्रतिगृहीत नहीं कर सकता।

35. पृष्ठांकक का दायित्व—तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो जो कोई किसी परक्राम्य लिखत की परिपक्वता से पूर्व उसे पृष्ठांकित और परिदत्त ऐसे पृष्ठांकन में अपने स्वयं के दायित्व को अभिव्यक्ततः अपवर्जित या सशर्त किए बिना करता है वह तद्द्वारा उस दशा में, जिसमें ऊपरवाल, प्रतिगृहीता या रचयिता द्वारा उसे अनादृत किया जाए, हर एक पश्चात्कर्ती धारक के प्रति ऐसी हानि या नुकसान के लिए, जो ऐसे अनादर से उसे हुआ है, प्रतिकर देने के लिए आबद्ध है, परन्तु यह तब जब कि अनादर की सम्यक् सूचना ऐसे पृष्ठांकक को एतस्मिन्पश्चात् उपबंधित रूप में दे दी गई हो या प्राप्त हो गई हो।

हर पृष्ठांकक अनादर के पश्चात् वैसे ही दायी है जैसे वह मांग पर देय लिखत पर दायी होता है।

36. सम्यक्-अनुक्रम-धारक के प्रति पूर्विक पक्षकारों का दायित्व—परक्राम्य लिखत का हर पूर्विक पक्षकार सम्यक्-अनुक्रम-धारक के प्रति तब तक उसके आधार पर दायी है जब तक उस लिखत की सम्यक् रूप से तुष्टि न की जाए।

37. रचयिता, लेखीवाल और प्रतिगृहीता मूल ऋणी होंगे—वचनपत्र या चेक का रचयिता, विनिमय-पत्र का लेखीवाल, प्रतिग्रहण तक, और प्रतिगृहीता उसके आधार पर क्रमशः मूल ऋणियों के रूप में, तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो, दायी हैं और उसके अन्य पक्षकार, यथास्थिति, रचयिता, लेखीवाल या प्रतिगृहीता के प्रतिभूओं के रूप में उसके आधार पर दायी हैं।

38. हर एक पाश्चिक पक्षकार की बाबत पूर्विक पक्षकार मूल ऋणी होगा—प्रतिभूओं के रूप में ऐसे दायी पक्षकारों का जहां तक पारस्परिक संबंध है वहां तक हर एक पूर्विक पक्षकार, तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में उसके आधार पर हर एक पाश्चिक पक्षकार के प्रति मूल ऋणी के रूप में भी दायी है।

दृष्टांत

क स्वयं अपने आदेशानुसार देय विनिमय-पत्र ख पर लिख देता है, जो उसे प्रतिगृहीत कर लेता है। तत्पश्चात् क विनिमय-पत्र को ग के नाम, ग, घ के नाम और घ, ङ के नाम पृष्ठांकित कर देता है। जहां तक ङ और ख का सम्बन्ध है, ख मूल ऋणी है और क, ग और घ उसके प्रतिभू हैं। जहां तक ङ और क का सम्बन्ध है क मूल ऋणी है और ग और घ उसके प्रतिभू हैं। जहां तक ङ और ग का सम्बन्ध है, ग मूल ऋणी है और घ उसका प्रतिभू है।

39. प्रतिभूत्व—जबकि प्रतिगृहीत विनिमय-पत्र का धारक प्रतिगृहीता से कोई ऐसी संविदा कर लेता है जिससे अन्य पक्षकार भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) की धारा 134 या 135 के अधीन उन्मोचित हो जाते हों तब धारक अन्य पक्षकारों को भारित करने का अपना अधिकार अभिव्यक्ततः आरक्षित रख सकेगा और ऐसी दशा में वे उन्मोचित नहीं होते हैं।

40. पृष्ठांकक के दायित्व का उन्मोचन—जहां कि परक्राम्य लिखत का धारक किसी पूर्विक पक्षकार के विरुद्ध पृष्ठांकक के उपचार का नाश या ह्रास पृष्ठांकक की सम्मति के बिना कर देता है, वहां पृष्ठांकक धारक के प्रति दायित्व से उस विस्तार तक उन्मोचित हो जाता है जहां तक वह हो जाता यदि परिपक्वता पर उस लिखत का संदाय कर दिया गया होता।

दृष्टांत

क के आदेश पर देय रचित विनिमय-पत्र का धारक क है, जिसमें, निम्नलिखित निरंक पृष्ठांकक है :

प्रथम पृष्ठांकक, “ख”।

द्वितीय पृष्ठांकक, “पीटर विलियम्स”।

तृतीय पृष्ठांकक, “राइट एण्ड कम्पनी”।

चतुर्थ पृष्ठांकक, “जान रोजारिओ”।

इस विनिमय-पत्र पर क जान रोजारिओ के विरुद्ध वाद लाता है और पीटर विलियम्स और राइट एण्ड कं० द्वारा पृष्ठांकन जान रोजारिओ की सम्मति के बिना काट देता है। क जान रोजारिओ से कुछ भी वसूल करने का हकदार नहीं है।

41. प्रतिगृहीता आबद्ध है यद्यपि पृष्ठांकन कूटरचित है—पहले से ही पृष्ठांकित विनिमय-पत्र का प्रतिगृहीता दायित्व से इस कारण से मुक्त नहीं हो जाता कि ऐसा पृष्ठांकन कूटरचित है यदि जब कि उसने विनिमय-पत्र प्रतिगृहीत किया था, वह जानता था या विश्वास करने का कारण रखता था कि वह पृष्ठांकन कूटरचित है।

42. कल्पित नाम में लिखे गए विनिमय-पत्र का प्रतिग्रहण—कल्पित नाम में लिखा गया और लेखीवाल के आदेश पर देय विनिमय-पत्र का प्रतिगृहीता, किसी ऐसे सम्यक्-अनुक्रम-धारक के प्रति, जो लेखीवाल के हस्ताक्षर जैसे ही हस्ताक्षर द्वारा और लेखीवाल द्वारा रचित तात्पर्यित पृष्ठांकन के अधीन दावा करता है, दायित्व से इस कारण मुक्त नहीं हो जाता कि ऐसा नाम कल्पित है।

43. परक्राम्य लिखत प्रतिफल के बिना रचित इत्यादि—प्रतिफल के बिना, या ऐसे प्रतिफल के लिए, जो निष्फल हो जाता है, रचित, लिखित, प्रतिगृहीत, पृष्ठांकित या अन्तरिम परक्राम्य लिखत उस संव्यवहार के पक्षकारों के बीच संदाय को कोई बाध्यता सृष्ट नहीं करती। किन्तु यदि ऐसे किसी पक्षकार ने किसी प्रतिफलार्थ धारक को वह लिखत पृष्ठांकन सहित या रहित अन्तरित कर दी है तो ऐसा धारक और उससे हक व्युत्पन्न करने वाला हर पाश्चिक धारक ऐसी लिखत पर शोध्य रकम प्रतिफलार्थ अन्तरक से या उस लिखत के किसी भी पूर्विक पक्षकार से वसूल कर सकेगा।

अपवाद 1—जिस पक्षकार के सौकर्य के लिए परक्राम्य लिखत रची गई, लिखी गई, प्रतिगृहीत की गई या पृष्ठांकित की गई है, यदि उसने उसकी रकम का संदाय कर दिया है तो वह किसी भी ऐसे व्यक्ति से, जो उसके सौकर्य के लिए ऐसे लिखत का पक्षकार बना है, उस लिखत पर ऐसी रकम वसूल नहीं कर सकता।

अपवाद 2—लिखत का कोई भी पक्षकार, जिससे किसी अन्य पक्षकार को ऐसे प्रतिफल के लिए, जिसे देने में या जिसका पूर्णतः पालन करने में वह असफल रहा है उसे अपने हक में रचने, लिखने, प्रतिगृहीत करने या पृष्ठांकित या अन्तरित करने के लिए उत्प्रेरित किया है, उस प्रतिफल के (यदि कोई हो) जो उसने वस्तुतः दिया है, या जिसका उसने वस्तुतः पालन किया है, मूल्य से अधिक रकम वसूल न करेगा।

44. धन के रूप में प्रतिफल का भागतः अभाव या निष्फल हो जाना—जबकि वह प्रतिफल, जिसके लिए किसी व्यक्ति ने वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चेक को हस्ताक्षरित किया है, धन के रूप में या और प्रारम्भ में भागतः विद्यमान न था या तत्पश्चात् भागतः निष्फल हो गया है, तब वह राशि, जिसे ऐसे हस्ताक्षरकर्ता से अव्यवहित संबंध में स्थित धारक उससे पाने का हकदार होगा अनुपाततः कम हो जाती है।

स्पष्टीकरण—विनिमय-पत्र का लेखीवाल प्रतिगृहीता से अव्यवहित संबंध में स्थित होता है। वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चेक का रचयिता पाने वाले से और पृष्ठांकक अपने पृष्ठांकित से अव्यवहित संबंध में स्थित होता है। अन्य हस्ताक्षरकर्ता धारक से अव्यवहित संबंध में करार द्वारा स्थित हो सकेंगे।

दृष्टांत

क अपने आदेशानुसार देय 500 रुपए का विनिमय-पत्र **ख** पर लिखता है। **ख** विनिमय-पत्र को प्रतिगृहीत कर लेता है। किन्तु तत्पश्चात् संदाय न करके उसे अनादृत कर देता है। **क** विनिमय-पत्र के आधार पर **ख** पर वाद लाता है। **ख** साबित कर देता है कि 400 रुपए के लिए तो वह मूल्यार्थ प्रतिगृहीत किया गया था और अवशिष्ट के लिए वादी के सौकर्य के लिए प्रतिगृहीत किया गया था। **क** केवल 400 रुपए वसूल कर सकता है।

45. जो प्रतिफल धन के रूप में नहीं है उसका भागतः निष्फल होना—जहां कि उस प्रतिफल का, जिसके लिए, किसी व्यक्ति ने वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चेक हस्ताक्षरित किया था, कोई भाग यद्यपि धन के रूप में नहीं है, तथापि साम्प्रार्थिक जांच के बिना धन के रूप में अभिनिश्चित किया जा सकता है और उस भाग की निष्फलता हुई है वहां वह राशि, जो उस हस्ताक्षरकर्ता से अव्यवहित संबंध में स्थित धारक उससे वसूल करने का हकदार है, अनुपाततः कम हो जाती है।

¹**[45क. खोए हुए विनिमय-पत्र की दूसरी प्रति पाने का धारक का अधिकार]**—जहां कि विनिमय-पत्र अतिशोध्य होने के पूर्व खो गया है वहां जो व्यक्ति उसका धारक था वह उसके लेखीवाल को इस बात के लिए कि जिस विनिमय-पत्र का खो जाना अभिकथित है, उसके पुनः पाए जाने की दशा में सब व्यक्तियों के विरुद्ध, चाहे वे कोई भी हों, लेखीवाल की क्षतिपूर्ति की जाएगी, प्रतिभूति यदि वह अपेक्षित की जाए देकर अपने को वैसा ही दूसरा विनिमय-पत्र देने के लिए आवेदन कर सकेगा।

यदि लेखीवाल पूर्वोक्त जैसी प्रार्थना पर विनिमय-पत्र की ऐसी दूसरी प्रति देने से इन्कार करे तो वह ऐसा करने के लिए विवश किया जा सकेगा।]

अध्याय 4

परक्रामण के विषय में

46. परिदान—वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चेक की रचना, या उसका प्रतिग्रहण या पृष्ठांकन, वास्तविक या आन्वयिक, परिदान द्वारा पूरा हो जाता है।

इसलिए कि जहां तक उन पक्षकारों के बीच, जो अव्यवहित संबंध में स्थित हैं, परिदान प्रभावी हो वह परिदान उस लिखत को स्वयं रचने, प्रतिगृहीत करने या पृष्ठांकित करने वाले पक्षकार के द्वारा या उसके द्वारा तन्निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।

¹ 1885 के अधिनियम सं० 2 की धारा 3 द्वारा अन्तःस्थापित।

ऐसे पक्षकारों के और लिखत के ऐसे धारक के बीच, जो सम्यक्-अनुक्रम-धारक नहीं है, यह दर्शित किया जा सकेगा कि लिखत सशर्त या विशेष प्रयोजन के लिए ही है न कि उसमें की सम्पत्ति को आत्यन्तिकः अन्तरित करने के प्रयोजन के लिए, परिदत्त की गई थी।

वाहक को देय वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चेक उसके परिदान द्वारा परक्राम्य है।

आदेशानुसार देय वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चेक धारक द्वारा उसके पृष्ठांकन और परिदान द्वारा परक्राम्य है।

47. परिदान द्वारा परक्रामण—वाहक को देय वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चेक धारा 58 के उपबंधों के अध्वधीन रहते हुए उसके परिदान द्वारा परक्राम्य है।

अपवाद—इस शर्त पर परिदत्त वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चेक कि अमुक घटना घटित होने के सिवाय वह प्रभावशाली नहीं होता है। (उस दशा के सिवाय जब कि वह ऐसे मूल्यार्थ धारक के हाथ में हो, जिसे इस शर्त की सूचना नहीं थी)। तब तक परक्रामित नहीं होता जब कि ऐसी घटना घटित न हो जाए।

दृष्टांत

(क) वाहक को देय परक्राम्य लिखत का धारक क उसे ख के अभिकर्ता को ख के लिए रखने को परिदत्त करता है। लिखत परक्राम्य हो गई है।

(ख) वाहक को देय उस परक्राम्य लिखत का धारक क, जो लिखत क के बैंककार के हाथ में है, जो उस समय ख का भी बैंककार है, बैंककार को निदेश देता है कि वह उस लिखत को उस बैंककार क या ख के खाते में ख के नाम अन्तरित करके जमा कर दे। बैंककार ऐसा करता है और तदनुसार अब वह लिखत ख के अभिकर्ता के रूप में उसके कब्जे में है। वह लिखत परक्रामित हो गई है और ख उसका धारक हो गया है।

48. पृष्ठांकन द्वारा परक्रामण—धारा 58 के उपबंधों के अध्वधीन रहते हुए यह है कि [आदेशानुसार देय] वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चेक धारक द्वारा उसके पृष्ठांकन और परिदान द्वारा परक्रामित होता है।

49. निरंक पृष्ठांकन का पूर्ण पृष्ठांकन में संपरिवर्तन—निरंक पृष्ठांकित परक्राम्य लिखत का धारक पृष्ठांकक के हस्ताक्षर के ऊपर निदेश लिखकर कि पृष्ठांकिकी के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को उसका संदाय किया जाए अपना नाम हस्ताक्षरित किए बिना निरंक पृष्ठांकन को पूर्ण पृष्ठांकन में संपरिवर्तित कर सकेगा और वह धारक एतद्द्वारा पृष्ठांकक का उत्तरदायित्व उपगत नहीं करता।

50. पृष्ठांकन का प्रभाव—परक्राम्य लिखत का पृष्ठांकन तत्पश्चात् परिदान होने पर, उसमें की सम्पत्ति पृष्ठांकिकी को आगे के परक्रामण के अधिकार सहित अन्तरित कर देता है, किन्तु पृष्ठांकन अभिव्यक्त शब्दों द्वारा ऐसा अधिकार निर्वन्धित या अपवर्जित कर सकेगा अथवा पृष्ठांकिकी को लिखत का पृष्ठांकन करने का या पृष्ठांकक के लिए या किसी अन्य विनिर्दिष्ट व्यक्ति के लिए उसकी अन्तर्वस्तुएं प्राप्त करने को केवल अभिकर्ता बना सकेगा।

दृष्टांत

ख वाहक को देय विभिन्न परक्राम्य लिखतों पर निम्नलिखित पृष्ठांकन हस्ताक्षरित करता है :—

(क) “अन्तर्वस्तुओं का संदाय केवल ग को करो”।

(ख) “मेरे उपयोग के लिए ग को संदाय करो”।

(ग) “ख के लेखे ग को या आदेशानुसार संदाय करो”।

(घ) “इसकी अन्तर्वस्तुएं ग के नाम जमा कर दो”।

ग द्वारा आगे के परक्रामण का अधिकार इन पृष्ठांकनों से अपवर्जित है।

(ङ) “ग को संदाय करो”।

(च) “ओरिएण्टल बैंक में ग के खाते में इसका मूल्य जमा कर दो”।

(छ) “पृष्ठांकक और अन्यो को ग ने जो समनुदेशन विलेख निष्पादित किया है उसके प्रतिफल के भागस्वरूप ग को इसकी अन्तर्वस्तुओं का संदाय करो”।

ग द्वारा आगे के परक्रामण के अधिकार को ये पृष्ठांकन अपवर्जित नहीं करते।

51. परक्रामण कौन कर सकेगा—परक्राम्य लिखत का हर एकल रचयिता, लेखीवाल, पाने वाला या पृष्ठांकिकी या कई संयुक्त रचयिताओं, लेखीवालों, पाने वालों या पृष्ठांकिकियों में से सब उसे पृष्ठांकित और परक्रामित कर सकेंगे यदि ऐसी लिखत की परक्राम्यता धारा 50 में वर्णित रूप में निर्वन्धित या अपवर्जित नहीं की गई है।

¹ 1919 के अधिनियम सं० 8 की धारा 4 द्वारा “विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के आदेशानुसार देय या विनिर्दिष्ट व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार देय” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

स्पष्टीकरण—इस धारा में की कोई भी बात रचयिता या लेखीवाल को लिखत को पृष्ठांकित करने या परक्रामित करने के लिए समर्थ नहीं बनाती जब तक कि वह उस पर विधिपूर्ण कब्जा न रखता हो या वह उसका धारक न हो, और न वह पाने वाले या पृष्ठांकित को, लिखत को पृष्ठांकित या परक्रामित करने के लिए समर्थ बनाती है, जब तक कि वह उसका धारक न हो।

दृष्टांत

विनिमय-पत्र **क** को या आदेशानुसार देय लिखा गया है **क** उसे **ख** के नाम पृष्ठांकित करता है। पृष्ठांकन में “या आदेशानुसार” शब्द या कोई समतुल्य शब्द अन्तर्विष्ट नहीं हैं। **ख** लिखत को परक्रामित कर सकेगा।

52. पृष्ठांकक जो अपने स्वयं के दायित्व को अपवर्जित करता है या सशर्त करता है—परक्राम्य लिखत का पृष्ठांकन में अभिव्यक्त शब्दों द्वारा, उस पर का अपना स्वयं का दायित्व अवर्जित कर सकेगा या ऐसे दायित्व को या उस लिखत पर शोध्य रकम को प्राप्त करने के पृष्ठांकित के अधिकार को किसी विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर, चाहे ऐसी घटना कभी भी घटित न हो, आश्रित कर सकेगा।

जहां कि कोई पृष्ठांकक अपने दायित्व को ऐसे अपवर्जित करता है और तत्पश्चात् लिखत का धारक हो जाता है वहां सब मध्यवर्ती पृष्ठांकक उसके प्रति दायी होते हैं।

दृष्टांत

(क) परक्राम्य लिखत का पृष्ठांकक “दायित्व रहित” यह शब्द जोड़कर अपना नाम हस्ताक्षरित करता है।

इस पृष्ठांकन के आधार पर वह कोई दायित्व उपगत नहीं करता।

(ख) **क** परक्राम्य लिखत का पाने वाला और धारक है। “दायित्व रहित” इस पृष्ठांकन द्वारा वैयक्तिक दायित्व को अपवर्जित करके वह लिखत **ख** को अन्तरित करता है और **ख**, उसे **ग** को पृष्ठांकित करता है जो उसे **क** को पृष्ठांकित कर देता है। **क** न केवल अपने पूर्ववर्ती अधिकारों में ही पुनःस्थापित हो जाता है वरन् उसे **ख** और **ग** के विरुद्ध पृष्ठांकित के अधिकार भी प्राप्त हो जाते हैं।

53. सम्यक्-अनुक्रम-धारक से हक व्युत्पन्न करने वाला धारक—परक्राम्य लिखत का वह धारक, जिसे सम्यक्-अनुक्रम-धारक से हक व्युत्पन्न हुआ है उस लिखत पर उस सम्यक्-अनुक्रम-धारक के अधिकार रखता है।

54. निरंक पृष्ठांकित लिखत—क्रास की हुई चेकों के बारे में जो उपबन्ध एतस्मिन्पश्चात् अन्तर्विष्ट हैं उनके अध्यक्षीन रहते हुए यह कि निरंक पृष्ठांकित परक्राम्य लिखत उसके वाहक को देय होती है यद्यपि वह मूलतः आदेशानुसार देय थी।

55. निरंक पृष्ठांकन का पूर्ण पृष्ठांकन में संपरिवर्तन—यदि परक्राम्य लिखत निरंक पृष्ठांकित की जाने के पश्चात् पूर्ण पृष्ठांकित की जाए तो जिस व्यक्ति के पक्ष में वह पूर्ण पृष्ठांकित की गई है या जिसका हक ऐसे व्यक्ति के माध्यम द्वारा व्युत्पन्न हुआ है उसके द्वारा किए जाने के सिवाय उसकी रकम का दावा पूर्ण पृष्ठांकन करने वाले से नहीं किया जा सकता।

56. शोध्य राशि के भाग के लिए पृष्ठांकन—परक्राम्य लिखत पर का कोई भी लेख, यदि उससे यह तात्पर्यित हो कि वह उस लिखत पर शोध्य प्रतीत होने वाली रकम के किसी भाग को ही अन्तरित करता है, परक्रामण के प्रयोजन के लिए विधिमान्य न होगा। किन्तु जहां कि ऐसी रकम का संदाय भागतः कर दिया गया है वहां उस आशय वाला टिप्पण उस लिखत पर पृष्ठांकित किया जा सकेगा जो तब बाकी के लिए परक्रामित की जा सकेगी।

57. मृतक द्वारा पृष्ठांकित लिखत को विधिक प्रतिनिधि केवल परिदान द्वारा परक्रामित नहीं कर सकता—आदेशानुसार देय और मृतक द्वारा पृष्ठांकित किन्तु अपरिदत्त वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चेक को मृतक का विधिक प्रतिनिधि केवल परिदान द्वारा परक्रामित नहीं कर सकता।

58. विधिविरुद्ध साधनों द्वारा या विधिविरुद्ध प्रतिफलार्थ अभिप्राप्त लिखत—जब कि परक्राम्य लिखत खो गई है या उसके किसी रचयिता, प्रतिगृहीता या धारक से अपराध या कपट द्वारा या विधिविरुद्ध प्रतिफल के लिए अभिप्राप्त की गई है तब जिस व्यक्ति ने लिखत को पाया था या ऐसे अभिप्राप्त किया था उससे व्युत्पन्न अधिकार से दावा करने वाला कोई कब्जाधारी या पृष्ठांकित उस पर शोध्य रकम को ऐसे रचयिता, प्रतिगृहीता या धारक से या ऐसे धारक के पूर्विक किसी भी पक्षकार से उस दशा के सिवाय प्राप्त करने का हकदार नहीं है जिसमें कि ऐसा कब्जाधारी या पृष्ठांकित या वह कोई व्यक्ति जिससे व्युत्पन्न अधिकार से वह दावा करता है, उसका सम्यक्-अनुक्रम-धारक है या था।

59. अनादर के या अतिशोध्य होने के पश्चात् अर्जित लिखत—परक्राम्य लिखत के उस धारक को जिसने उसे अप्रतिग्रहण या असंदाय द्वारा उसके अनादर के पश्चात् उसकी सूचना सहित या परिपक्वता के पश्चात् अर्जित किया है, उस पर अन्य पक्षकारों के विरुद्ध केवल वे ही अधिकार प्राप्त हैं जो उसके अंतरक के थे :

सौकर्य पत्र या विपत्र—परन्तु जो कोई भी व्यक्ति सद्भावपूर्वक और प्रतिफलार्थ किसी ऐसे वचन-पत्र या विनिमय-पत्र का धारक उनकी परिपक्वता के पश्चात् हो जाता है जो प्रतिफल के बिना इस प्रयोजन से रचा, लिखा या प्रतिगृहीत किया गया था कि उसका कोई पक्षकार उसके आधार पर धन ले सकने के लिए समर्थ हो जाए वह किसी भी पूर्विक पक्षकार से उस वचन-पत्र या विनिमय-पत्र की रकम वसूल कर सकेगा।

दृष्टांत

एक विनिमय-पत्र के प्रतिगृहीता ने उस समय, जब कि उसने उसे प्रतिगृहीत किया था, लेखीवाल के पास कुछ माल उस विनिमय-पत्र के संदाय के लिए साम्प्रार्श्विक प्रतिभूति के रूप में लेखीवाल को यह शक्ति देकर निक्षिप्त कर दिया था कि यदि उस विनिमय-पत्र की परिपक्वता पर विनिमय-पत्र का संदाय न किया जाए, तो वह माल को बेच दे और उसके आगमों को विनिमय-पत्र के चुकाने में लगा दे। परिपक्वता पर विनिमय-पत्र का संदाय न किए जाने पर लेखीवाल ने माल को बेच दिया, आगमों को प्रतिधृत कर लिया किन्तु विनिमय-पत्र क को पृष्ठांकित कर दिया। क का हक उसी आक्षेप के अध्यक्षीन है जिसके अध्यक्षीन लेखीवाल का हक है।

60. संदाय या तुष्टि होने तक लिखत परक्राम्य है—परक्राम्य लिखत तब तक परक्रामित की जा सकेगी, जब तक रचयिता, ऊपरवाल या प्रतिगृहीता द्वारा उसका संदाय या तुष्टि परिपक्वता पर या के पश्चात् न कर दी गई हो किन्तु ऐसे संदाय या तुष्टि के पश्चात् नहीं; परन्तु परिपक्वता के पश्चात् वह उसके रचयिता, ऊपरवाल या प्रतिगृहीता द्वारा परक्रामित न की जा सकेगी।

अध्याय 5

उपस्थापन के विषय में

61. प्रतिग्रहण के लिए उपस्थापन—यदि दर्शनोपरान्त देय विनिमय-पत्र में उसके उपस्थापन के लिए कोई समय या स्थान विनिर्दिष्ट नहीं है तो उस व्यक्ति द्वारा जो उसके प्रतिग्रहण की मांग करने का हकदार है, उसके लिखे जाने के पश्चात् युक्तियुक्त समय के अन्दर और कारबार के दिन कारबार के समय में प्रतिग्रहण के लिए उसके ऊपरवाल को यदि वह युक्तियुक्त तलाश के पश्चात् पाया जा सके, उपस्थापित किया जाएगा। ऐसे उपस्थापन में व्यतिक्रम होने पर उसका कोई भी पक्षकार ऐसा व्यतिक्रम करने वाले पक्षकार के प्रति उस पर दायी न होगा।

यदि ऊपरवाल युक्तियुक्त तलाश के पश्चात् न पाया जा सके तो विनिमय-पत्र अनाद्रत हो जाता है।

यदि विनिमय-पत्र ऊपरवाल को किसी विशिष्ट स्थान पर निर्दिष्ट है तो वह उस स्थान पर ही उपस्थापित किया जाना चाहिए और यदि उपस्थापित करने के लिए सम्यक् तारीख को युक्तियुक्त तलाश के पश्चात् वह वहां न पाया जा सके तो विनिमय-पत्र अनाद्रत हो जाता है।

¹[जहां कि करार या प्रथा से ऐसा करना प्राधिकृत है वहां रजिस्ट्रीकृत चिट्ठी से डाकघर के माध्यम द्वारा उपस्थापन पर्याप्त है।]

62. वचन-पत्र को दर्शन के लिए उपस्थापित करना—दर्शनोपरान्त निश्चित कालावधि पर देय वचन-पत्र उसके रचयिता के समक्ष (यदि वह युक्तियुक्त तलाश के पश्चात् पाया जा सके) उसके रचे जाने के पश्चात् युक्तियुक्त समय के अन्दर उस व्यक्ति द्वारा, जो संदाय की मांग करने का हकदार है, और कारबार के दिन कारबार के समय दर्शन के लिए उपस्थापित किया जाना चाहिए। ऐसे उपस्थापन में व्यतिक्रम होने पर उसका कोई भी पक्षकार ऐसा व्यतिक्रम करने वाले व्यक्ति के प्रति उस पर दायी न होगा।

63. ऊपरवाल को विचार-विमर्श करने के लिए समय—यदि उस विनिमय-पत्र का ऊपरवाल, जो प्रतिग्रहण के लिए उसके समक्ष उपस्थापित किया गया है धारक से ऐसी अपेक्षा करे तो वह ऊपरवाल को यह विचार करने के लिए कि क्या वह उसे प्रतिगृहीत करेगा ²[अड़तालीस] घण्टे का समय (लोक अवकाश दिनों का अपवर्जन करके) देगा।

64. संदाय के लिए उपस्थापन—³[(1)] वचन-पत्र, विनिमय-पत्र और चेक क्रमशः उसके रचयिता, प्रतिगृहीता या ऊपरवाल को एतस्मिन्पश्चात् उपबंधित तौर पर संदाय के लिए धारक द्वारा या उसकी ओर से उपस्थापित किए जाने होंगे। ऐसे उपस्थापन में व्यतिक्रम होने पर उसके अन्य पक्षकार ऐसे धारक के प्रति उस पर दायी न होंगे।

¹[जहां कि करार या प्रथा से ऐसा करना प्राधिकृत है वहां रजिस्ट्रीकृत चिट्ठी से डाकघर के माध्यम द्वारा उपस्थापन पर्याप्त है।]

अपवाद—जहां कि वचन-पत्र मांग पर देय है और विनिर्दिष्ट स्थान पर देय नहीं है वहां उसके रचयिता को भारित करने के लिए कोई उपस्थापन आवश्यक नहीं है।

⁴[(2) धारा 6 में किसी बात के होते हुए भी, जहां संक्षेपित चेक का कोई इलैक्ट्रानिक प्रतिरूप संदाय के लिए उपस्थापित किया जाता है, वहां ऊपरवाल बैंक, लिखत के प्रकट शब्दों की असलियत के बारे में किसी युक्तियुक्त संदेह की दशा में संक्षेपित चेक को धारण करने वाले बैंक से उक्त संक्षेपित चेक के संबंध में किसी और जानकारी की मांग करने का हकदार है और यदि संदेह लिखत में किसी कपट, कूटरचना, छेड़छाड़ या विनाश के बारे में है, तो वह सत्यापन के लिए संक्षेपित चेक के ही उपस्थापन की और मांग करने का हकदार है :

¹ 1885 के अधिनियम सं० 2 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित।

² 1921 के अधिनियम सं० 12 की धारा 2 द्वारा “चीबीस” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ 2002 के अधिनियम सं० 55 की धारा 3 द्वारा (6-2-2003 से) पुनःसंख्यांकित।

⁴ 2002 के अधिनियम सं० 55 की धारा 3 द्वारा (6-2-2003 से) अंतःस्थापित।

परंतु ऊपरवाल बैंक द्वारा इस प्रकार मांगा गया संक्षेपित चेक उसके द्वारा उस दशा में प्रतिधारित किया जाएगा जिसमें तदनुसार संदाय कर दिया जाता है।]

65. उपस्थापन के लिए समय—संदाय के लिए उपस्थापन कारबार के प्रायिक समय के दौरान में और यदि वह किसी बैंककार के यहां किया जाना है तो बैंककारी कारबार के समय के अन्दर करना होगा।

66. तारीख के पश्चात् या दर्शनोपरान्त देय लिखत के संदाय के उपस्थापन—जो वचन-पत्र या विनिमय-पत्र उसमें दी हुई तारीख के पश्चात् या उसके दर्शनोपरान्त एक विनिर्दिष्ट कालावधि पर देय रचा गया है उसे परिपक्वता पर संदाय के लिए उपस्थापित करना होगा।

67. किस्तों में देय वचन-पत्र का संदाय के लिए उपस्थापन—किस्तों में देय वचन-पत्र हर एक किस्त के संदाय के लिए नियत तारीख के पश्चात् तीसरे दिन संदाय के लिए उपस्थापित करना होगा और ऐसे उपस्थापन पर असंदाय का वही प्रभाव होगा जो परिपक्वता पर वचन-पत्र के असंदाय का होता है।

68. विनिर्दिष्ट स्थान में, न कि अन्यत्र, देय लिखत के संदाय के लिए उपस्थापन—जो वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चेक किसी विनिर्दिष्ट स्थान में, न कि अन्यत्र देय रचित, लिखित या प्रतिगृहीत है, उसके किसी पक्षकार को भारित करने के लिए उसे उसी स्थान में संदाय के लिए उपस्थापित करना होगा।

69. निर्दिष्ट स्थान में देय लिखत—जो वचन-पत्र या विनिमय-पत्र किसी विनिर्दिष्ट स्थान में देय रचित, लिखित या प्रतिगृहीत है उसे उसके रचयिता या लेखीवाल को भारित करने के लिए उसी स्थान में संदाय के लिए उपस्थापित करना होगा।

70. जहां कि कोई अनन्य स्थान विनिर्दिष्ट नहीं है वहां उपस्थापन—जो वचन-पत्र या विनिमय-पत्र धाराओं 68 और 69 में वर्णित तौर पर देय रचित नहीं है, उसे, यथास्थिति, उसके रचयिता, लेखीवाल या प्रतिगृहीतों के कारबार के स्थान में (यदि कोई हो) या प्रायिक निवास-स्थान में संदाय के लिए उपस्थापित करना होगा।

71. जबकि रचयिता आदि के कारबार या निवास का कोई ज्ञात स्थान नहीं है तब उपस्थापन—यदि परक्राम्य लिखत के रचयिता, लेखीवाल या प्रतिगृहीता का कोई कारबार का ज्ञात स्थान या नियत निवास-स्थान नहीं है और लिखत में प्रतिग्रहणार्थ या संदायार्थ उपस्थापन के लिए कोई स्थान विनिर्दिष्ट नहीं है तो ऐसा उपस्थापन स्वयं उसको किसी ऐसे स्थान में किया जा सकेगा जहां कहीं वह पाया जा सके।

72. लेखीवाल को भारित करने के लिए चेक का उपस्थापन—¹[धारा 84 के उपबन्धों के अधीन यह है कि] इसलिए कि चेक लेखीवाल को भारित करे उसे उस बैंक में, जिस पर वह लिखा गया है, इसके पूर्व उपस्थापित करना होगा कि लेखीवाल और उसके बैंककार के बीच का संबंध ऐसे परिवर्तित हो जाए कि जिससे लेखीवाल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो।

73. किसी अन्य व्यक्ति को भारित करने के लिए चेक का उपस्थापन—इसलिए कि चेक लेखीवाल के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति को भारित करे, ऐसे व्यक्ति को वह उसके परिदान के पश्चात् युक्तियुक्त समय के अन्दर उपस्थापित करना होगा।

74. मांग पर देय लिखत का उपस्थापन—धारा 31 के उपबन्धों के अधीन यह है कि मांग पर देय परक्राम्य लिखत धारक द्वारा उसे प्राप्त करने के पश्चात् युक्तियुक्त समय के अन्दर संदाय के लिए उपस्थापित करनी होगी।

75. अभिकर्ता, मृतक के विधिक प्रतिनिधि या दिवालिया के समनुदेशिनी द्वारा या को उपस्थापन—प्रतिग्रहण या संदाय के लिए उपस्थापन, यथास्थिति, ऊपरवाल, रचयिता, या प्रतिगृहीता के सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता को या जहां कि ऊपरवाल, रचयिता या प्रतिगृहीता मर गया है वहां उसके विधिक प्रतिनिधि को, या जहां कि वह दिवालिया घोषित किया जा चुका है वहां उसके समनुदेशिनी को किया जा सकेगा।

²[**75क. प्रतिग्रहण या संदाय के लिए उपस्थापन में विलम्ब के लिए प्रतिहेतु**—³[प्रतिग्रहण या संदाय के लिए] उपस्थापन में विलम्ब यदि धारक के नियंत्रण के परे की परिस्थितियों से हुआ है और उसके व्यतिक्रम, अवचार या उपेक्षा के कारण होने का दोष नहीं लगाया जा सकता तो वह माफी योग्य होगा। जब विलम्ब के कारण का परिविराम हो जाता है तब उपस्थापन युक्तियुक्त समय के अन्दर करना होगा।]

76. उपस्थापन कब अनावश्यक होता है—निम्नलिखित दशाओं में से किसी भी दशा में संदाय के लिए उपस्थापन आवश्यक नहीं है और लिखत उस तारीख पर अनावृत्त हो जाती है, जो उपस्थापन के लिए नियत है, अर्थात् :—

(क) यदि रचयिता, ऊपरवाल या प्रतिगृहीता उपस्थापन साशय निवारित करता है, या

उसके कारबार के स्थान में देय लिखत की दशा में, यदि वह कारबार के दिन कारबार के प्रायिक समय के दौरान में ऐसा स्थान बन्द कर देता है, या

¹ 1897 के अधिनियम सं० 6 द्वारा 2 द्वारा अन्तःस्थापित।

² 1920 के अधिनियम सं० 25 द्वारा 2 द्वारा अन्तःस्थापित।

³ 1921 के अधिनियम सं० 12 द्वारा 3 द्वारा “संदाय के लिए” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

किसी अन्य विनिर्दिष्ट स्थान में देय लिखत की दशा में यदि न तो वह और न उसका संदाय करने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति कारबार के प्रायिक समय के दौरान में ऐसे स्थान में हाजिर रहता है, या

किसी विनिर्दिष्ट स्थान में देय लिखत न होने की दशा में यदि वह सम्यक् तलाशी के पश्चात् नहीं पाया जा सकता;

(ख) जहां तक कि किसी ऐसे पक्षकार का संबंध है, जिसे उससे भारित किया जाना ईप्सित है यदि वह अनुस्थापन की दशा में भी संदाय करने के लिए वचनबद्ध हुआ है;

(ग) जहां तक कि किसी भी पक्षकार का संबंध है, यदि वह यह ज्ञान रखते हुए कि लिखत उपस्थापित नहीं की गई है, परिपक्वता के पश्चात्—

लिखत पर शोध्य रकम मद्धे भागतः संदाय कर देता है;

या उस पर शोध्य रकम को पूर्णतः या भागतः संदाय करने का वचन दे देता है,

या संदाय के लिए उपस्थापन में किसी व्यतिक्रम का फायदा उठाने का अपना अधिकार अन्यथा अधित्यक्त कर देता है;

(घ) जहां तक कि लेखीवाल का प्रश्न है यदि लेखीवाल को ऐसे उपस्थापन के अभाव से नुकसान नहीं पहुंच सकता।

77. संदाय के लिए उपस्थापित विनिमय-पत्र से उपेक्षा बरतने के लिए बैंककार का दायित्व—जब कि किसी विनिर्दिष्ट बैंक पर देय प्रतिगृहीत विनिमय-पत्र वहां संदाय के लिए सम्यक् रूप से उपस्थापित कर दिया गया है और अनादृत कर दिया है तब यदि बैंककार ऐसे विनिमय-पत्र को ऐसे उपेक्षापूर्ण या अनुचित तौर पर रखे, बरते या वापिस परिदत्त करे कि धारक को उससे हानि पहुंचे तो वह धारक को ऐसी हानि के लिए प्रतिकर देगा।

अध्याय 6

संदाय और ब्याज के विषय में

78. संदाय किसको किया जाना चाहिए—धारा 82 के खंड (ग) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए यह है कि इस गरज से कि रचयिता या प्रतिगृहीता को उन्मोचित किया जाए, वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चेक पर शोध्य रकम का संदाय लिखत के धारक को करना होगा।

79. ब्याज जब कि दर विनिर्दिष्ट है—जब कि वचन-पत्र या विनिमय-पत्र पर ब्याज विनिर्दिष्ट दर से अभिव्यक्ततः देय कर दिया गया है तब ब्याज की गणना उस पर शोध्य मूलधन की रकम पर लिखत की तारीख से ऐसी रकम के निविदत्त, या आप्त किए जाने तक या ऐसी रकम की वसूली के लिए वाद की संस्थिति के पश्चात् ऐसी तारीख तक, जैसी न्यायालय निर्दिष्ट करे, उस विनिर्दिष्ट दर से की जाएगी।

80. जब कि कोई दर विनिर्दिष्ट नहीं है तब ब्याज—जब कि लिखत से ब्याज की कोई दर विनिर्दिष्ट नहीं है तब उस पर शोध्य रकम मद्धे ब्याज की गणना [लिखत के किन्हीं पक्षकारों के बीच ब्याज संबंधी किसी करार के होते हुए भी] उस तारीख से, जिसको भारित पक्षकार द्वारा उसका संदाय किया जाना चाहिए। उस तारीख तक जब उस पर शोध्य रकम निविदत्त या आप्त हो या ऐसी रकम के लिए वाद की संस्थिति के पश्चात् ऐसी तारीख तक, जैसी न्यायालय निर्दिष्ट करे, प्रतिवर्ष [अठारह प्रतिशत] की दर से की जाएगी।

स्पष्टीकरण—जब कि भारित पक्षकार संदाय न करने से अनादृत किसी लिखत का पृष्ठांकक है तब वह ब्याज देने के लिए दायी केवल उसी समय से होगा जब कि उसे अनादर की सूचना प्राप्त होती है।

81. संदाय पर लिखत का परिदान या खो जाने की दशा में क्षतिपूर्ति—³[(1)] वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चेक पर शोध्य रकम संदत्त करने का दायी और उसके धारक द्वारा संदाय के लिए अपेक्षित किया गया कोई भी व्यक्ति संदाय से पूर्व इस बात का हकदार है कि वह उसे दिखाया जाए तथा संदाय कर दिए जाने पर इस बात का हकदार है कि वह उसे परिदत्त कर दिया जाए अथवा यदि लिखत खो गई है या पेश नहीं की जा सकती तो इस बात का हकदार है कि उस लिखत के आधार पर उसके विरुद्ध किसी आगे के दावे की बाबत उसका क्षतिपूरण किया जाए।

⁴[(2)] जहां चेक, संक्षेपित चेक का कोई इलैक्ट्रानिक प्रतिरूप है, वहां संदाय के पश्चात् भी वह बैंककार जिसने संदाय प्राप्त किया है, संक्षेपित चेक को प्रतिधारित करने का हकदार होगा।

(3) उस बैंककार द्वारा, जिसने लिखत का संदाय किया है, संक्षेपित चेक के इलैक्ट्रानिक प्रतिरूप के प्रिन्टआउट के पाद पर जारी प्रमाणपत्र, ऐसे संदाय का प्रथमदृष्ट्या सबूत होगा।]

¹ 1926 के अधिनियम सं० 30 की धारा 2 द्वारा “सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 532 में जैसा उपबंध है उन दशाओं के सिवाय” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² 1988 के अधिनियम सं० 66 की धारा 2 द्वारा (30-12-1988 से) “छह प्रतिशत” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ 2002 के अधिनियम सं० 55 की धारा 4 द्वारा (6-2-2003 से) पुनःसंख्यांकित।

⁴ 2002 के अधिनियम सं० 55 की धारा 4 द्वारा (6-2-2003 से) अंतःस्थापित।

अध्याय 7

वचन-पत्रों, विनिमय-पत्रों और चेकों पर दायित्व से उन्मोचन के विषय में

82. दायित्व से उन्मोचन—परक्राम्य लिखत के रचयिता, प्रतिगृहीता या पृष्ठांकक का अपने-अपने दायित्व से उन्मोचन—

(क) **रद्दकरण द्वारा**—उसके उस धारक के प्रति, जो ऐसे प्रतिगृहीता या पृष्ठांकक का नाम उसे उन्मोचित करने के आशय से रद्द कर देता है, और ऐसे धारक से व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले सब पक्षकारों के प्रति हो जाता है;

(ख) **निर्मुक्ति द्वारा**—उसके उस धारक के प्रति, जो ऐसे रचयिता, प्रतिगृहीता या पृष्ठांकक को अथवा उन्मोचित कर देता है और ऐसे उन्मोचन की सूचना के पश्चात् ऐसे धारक के अधीन हक व्युत्पन्न करने वाले सब पक्षकारों के प्रति हो जाता है;

(ग) **संदाय द्वारा**—उसमें के सब पक्षकारों के प्रति उस दशा में हो जाता है जिसमें कि वह लिखत वाहक को संदेय है, या उस पर निरंक पृष्ठांकन कर दिया गया है और ऐसे रचयिता, प्रतिगृहीता या पृष्ठांकक ने उस पर शोध्द रकम का सम्यक्-अनुक्रम में संदाय कर दिया है।

83. ऊपरवाल को प्रतिग्रहण के लिए अड़तालीस घण्टे से अधिक समय अनुज्ञात करने से उन्मोचन—यदि विनिमय-पत्र का धारक ऊपरवाल को यह विचार करने के लिए कि वह उसे प्रतिगृहीत करेगा या नहीं लोक अवकाश दिनों को छोड़कर [अड़तालीस] घण्टे से अधिक अनुज्ञात कर देता है तो ऐसी अनुज्ञा से सम्मत न होने वाले सब पूर्विक पक्षकार ऐसे धारक के प्रति दायित्व से तद्द्वारा उन्मोचित हो जाते हैं।

²**84. जब कि चेक सम्यक् रूप से उपस्थापित नहीं किया गया और लेखीवाल को तद्द्वारा नुकसान हुआ**—(1) जहां कि चेक, उसके काटे जाने से युक्तियुक्त समय के अन्दर संदाय के लिए उपस्थापित न किया जाए और जहां तक लेखीवाल या जिस व्यक्ति लेखे वह लिखा गया है उस व्यक्ति और बैंककार के बीच का संबंध है, वहां तक लेखीवाल या ऐसे व्यक्ति को उस समय, जब कि वह उपस्थापित किया जाना चाहिए था, यह अधिकार प्राप्त था कि चेक का संदाय किया जाए और वह विलम्ब के कारण वास्तव में नुकसान उठाता है वहां वह ऐसे नुकसान की मात्रा तक उन्मोचित हो जाता है, अर्थात्, उस भाषा तक जिस तक ऐसा लेखीवाल या व्यक्ति उस रकम से अधिक के लिए बैंककार का लेनदार है जिस रकम का लेनदार वह होता यदि चेक का संदाय कर दिया गया होता।

(2) यह अवधारण करने के लिए कि युक्तियुक्त समय क्या है लिखत की प्रकृति को, व्यापार और बैंककारों की प्रथा को और उस विशिष्ट मामले के तथ्यों को ध्यान में रखा जाएगा।

(3) उस चेक का धारक, जिसकी बाबत ऐसा लेखीवाल या व्यक्ति ऐसे उन्मोचित हो गया है, ऐसे लेखीवाल या व्यक्ति के बदले में ऐसे बैंककार का ऐसे उन्मोचन की मात्रा तक लेनदार और उससे उस रकम को वसूल करने का हकदार होगा।

दृष्टांत

(क) क 1,000 रुपए के लिए चेक लिखता है, और जब उपस्थापित किया जाना चाहिए था उस समय बैंक में उसके संदाय के लिए उसका रुपया है। चेक उपस्थापित किए जाने से पूर्व बैंक फेल हो जाता है। लेखीवाल उन्मोचित हो जाता है किन्तु धारक चेक की रकम के लिए बैंक के विरुद्ध अपना दावा साबित कर सकता है।

(ख) क अम्बाले में एक चेक कलकत्ते के एक बैंक पर लिखता है। चेक के सम्यक्-अनुक्रम में उपस्थापित किए जाने से पूर्व बैंक फेल हो जाता है। क उन्मोचित नहीं होता क्योंकि चेक के उपस्थापित करने में किसी विलम्ब से उसे वास्तविक नुकसान नहीं उठाना पड़ा।

85. आदेशानुसार देय चेक—³[(1)] जहां कि आदेशानुसार देय चेक पाने वाले के द्वारा या निमित्त पृष्ठांकित होना तात्पर्यित है, वहां सम्यक्-अनुक्रम में संदाय करने से ऊपरवाल का उन्मोचन हो जाता है।

³[(2)] जहां कि चेक का वाहक को देय होना मूलतः अभिव्यक्त है, वहां ऊपरवाल उसके वाहक को सम्यक्-अनुक्रम में संदाय द्वारा उन्मोचित हो जाता है, यद्यपि उस पर कोई पृष्ठांकन पूर्णतः या निरंक दर्शित हो और यद्यपि आगे के परक्रामण का निर्वन्धित या अपवर्जित होना ऐसे किसी भी पृष्ठांकन से तात्पर्यित है।

⁴**85क. आदेशानुसार देय ड्राफ्ट जो बैंक की एक शाखा ने दूसरी शाखा पर लिखे हैं**—जहां कि कोई ड्राफ्ट अर्थात् धन संदत्त करने का आदेश, जो कि बैंक के एक कार्यालय द्वारा उसी बैंक के दूसरे कार्यालय पर मांग पर आदेशानुसार देय धन की राशि के लिए लिखा गया है, पानेवाले के द्वारा या निमित्त पृष्ठांकित होना तात्पर्यित है, वहां बैंक सम्यक्-अनुक्रम में संदाय द्वारा उन्मोचित हो जाता है।

¹ 1921 के अधिनियम सं० 12 की धारा 2 द्वारा “चौबीस” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² 1897 के अधिनियम सं० 6 की धारा 3 द्वारा मूल धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ 1934 के अधिनियम सं० 17 की धारा 2 द्वारा धारा 85 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया और उपधारा (2) अंतःस्थापित की गई।

⁴ 1930 के अधिनियम सं० 25 की धारा 2 द्वारा अन्तःस्थापित।

86. सम्मत न होने वाले पक्षकार विशेषित या सीमित प्रतिग्रहण द्वारा उन्मोचित हो जाते हैं—यदि विनिमय-पत्र का धारक से प्रतिग्रहण से उपमत हो जाता है जो विशेषित है, या विनिमय-पत्र में वर्णित राशि के एक भाग तक सीमित है या जो संदाय के लिए कोई भिन्न स्थान या समय प्रतिस्थापित करता है या जो उस दशा में जहां कि ऊपरवाल भागीदार नहीं है, उन सब के द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है तो जब तक कि वे सब पूर्विक पक्षकार, जिनकी ऐसे प्रतिग्रहण के लिए सम्मति अभिप्राप्त नहीं की गई है, धारक द्वारा सूचना दी जाने पर ऐसे प्रतिग्रहण के लिए अपनी अनुमति नहीं दे देते वे जहां तक कि धारक और उनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वालों का संबंध है, उन्मोचित हो जाते हैं।

स्पष्टीकरण—प्रतिग्रहण वहां विशेषित होता है—

(क) जहां कि वह सशर्त है अर्थात् यह घोषित करता है कि संदाय उसमें कथित घटना के होने पर निर्भर करेगा,

(ख) जहां कि वह संदाय की जाने के लिए आदिष्ट राशि के केवल भाग के संदाय का वचन देता है,

(ग) जहां कि आदेश में संदाय के लिए कोई स्थान विनिर्दिष्ट न होते हुए वह विनिर्दिष्ट स्थान में, न कि अन्यथा या अन्यत्र, संदाय का वचन देता है अथवा जहां कि आदेश में संदाय का स्थान विनिर्दिष्ट होते हुए वह किसी दूसरे स्थान में, न कि अन्यथा या अन्यत्र, संदाय का वचन देता है,

(घ) जहां कि वह उस समय से भिन्न समय पर संदाय का वचन देता है जिस समय पर आदेश के अधीन वह वैध रूप से शोध्य होगा।

87. तात्त्विक परिवर्तन का प्रभाव—परक्राम्य लिखत में का कोई भी तात्त्विक परिवर्तन उसे किसी के विरुद्ध भी, जो कि ऐसे परिवर्तन के समय उसका पक्षकार और उसके प्रति सम्मत नहीं हुआ है, तब के सिवाय शून्य कर देता है जब कि वह परिवर्तन मूल पक्षकारों के सामान्य आशय को पूरा करने के लिए किया गया हो;

पृष्ठांकित द्वारा परिवर्तन—और यदि ऐसा कोई परिवर्तन पृष्ठांकित द्वारा किया गया है, तो वह उसके प्रतिफल की बाबत उसके सब दायित्व से उसके पृष्ठांकक को उन्मोचित कर देता है।

इस धारा के उपबंध धाराएं 20, 49, 86 और 125 के उपबंधों के अधीन हैं।

88. पूर्विक परिवर्तन के होते हुए भी प्रतिगृहीता या पृष्ठांकक आबद्ध रहता है—लिखत में किसी पूर्विक परिवर्तन के होते हुए भी परक्राम्य लिखत का प्रतिगृहीता या पृष्ठांकक अपने प्रतिग्रहण या पृष्ठांकन से आबद्ध रहता है।

89. जिस लिखत पर परिवर्तन दृश्यमान नहीं है उसका संदाय—¹[(1)] जहां कि वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चेक तात्त्विक रूप में परिवर्तित किया गया है किन्तु यह प्रतीत नहीं होता है कि वह ऐसे परिवर्तित किया गया है,

या जहां कि ऐसा चेक जो कि उपस्थापन के समय ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वह क्रास किया हुआ है अथवा उस पर क्रासिंग थी जो मिटा दी गई है, संदाय के लिए उपस्थापित किया जाता है,

वहां संदाय के लिए दायी व्यक्ति और या बैंककार द्वारा उसका संदाय और संदाय के समय उसके प्रकट शब्दों के अनुकूल और सम्यक्-अनुक्रम में अन्यथा उसके संदाय से ऐसा व्यक्ति या बैंककार उसके सब दायित्व से उन्मोचित हो जाएगा और ऐसा संदाय लिखत के परिवर्तन किए जाने या चेक के क्रास किए जाने के कारण प्रश्नगत न किया जाएगा।

²[(2)] जहां चेक संक्षेपित चेक का कोई इलैक्ट्रानिक प्रतिरूप है, वहां ऐसे इलैक्ट्रानिक प्रतिरूप और संक्षेपित चेक के प्रकट शब्दों में कोई अंतर तात्त्विक परिवर्तन होगा और, यथास्थिति, बैंक या समाशोधन गृह का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रतिरूप का संक्षेपण और पारेषण करते समय, संक्षेपित चेक के इलैक्ट्रानिक प्रतिरूप के प्रकट शब्दों की यथार्थता को सुनिश्चित कर ले।

(3) कोई ऐसा बैंक या समाशोधन गृह, जो संक्षेपित चेक के पारेषित इलैक्ट्रानिक प्रतिरूप को प्राप्त करता है, उस पक्षकार से, जिसने उसको प्रतिरूप पारेषित किया है, यह सत्यापित करेगा कि उसे इस प्रकार पारेषित और उसके द्वारा प्राप्त प्रतिरूप बिल्कुल एक ही हैं।]

90. प्रतिगृहीता के हाथों में के विनिमय-पत्र पर कार्यवाही करने के अधिकारों का निर्वापन—जो विनिमय-पत्र परक्रामित किया गया है, परिपक्वता के समय या पश्चात् यदि वह प्रतिगृहीता द्वारा स्वयं अपने अधिकार से धारित है तो उस पर कार्यवाही करने के सब अधिकार निर्वापित हो जाते हैं।

अध्याय 8

अनादर की सूचना के विषय में

91. अप्रतिग्रहण द्वारा अनादर—विनिमय-पत्र अप्रतिग्रहण द्वारा अनादृत हुआ तब कहा जाता है जब उस विनिमय-पत्र के प्रतिग्रहण के लिए सम्यक् रूप से अपेक्षित किए जाने पर ऊपरवाल या कई ऊपरवालों में से, जो भागीदार नहीं हैं, एक प्रतिग्रहण में व्यतिक्रम करता है या जहां कि उपस्थापन करने से अभिमुक्ति दे दी गई हो और विनिमय-पत्र प्रतिगृहीत न किया जाए।

¹ 2002 के अधिनियम सं० 55 की धारा 5 द्वारा (6-2-2003 से) पुनःसंख्यांकित।

² 2002 के अधिनियम सं० 55 की धारा 5 द्वारा (6-2-2003 से) अंतःस्थापित।

जहां कि ऊपरवाल संविदा करने के लिए अक्षम है या प्रतिग्रहण विशेषित है वहां विनिमय-पत्र अनादृत कर दिया गया माना जा सकेगा।

92. असंदाय द्वारा अनादर—वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चेक असंदाय द्वारा अनादृत हुआ तब कहा जाता है जब कि ऊपरवाल-वचन-पत्र का रचयिता, विनिमय-पत्र का प्रतिगृहीता या चेक का ऊपरवाल उसका संदाय करने के लिए सम्यक् रूप से अपेक्षित किए जाने पर संदाय में व्यतिक्रम करता है।

93. सूचना किसके द्वारा और किसको दी जानी चाहिए—जब कि वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चेक अप्रतिग्रहण या असंदाय द्वारा अनादृत हो गया है तब उसके धारक को या उसके किसी पक्षकार को जो उस पर दायी बना रहता है, उन सब अन्य पक्षकारों को, जिन्हें कि धारक उस पर अलग-अलग दायी बनाना चाहता है, और उन कई पक्षकारों में से किसी एक को, जिन्हें कि वह उस पर संयुक्ततः दायी बनाना चाहता है, यह सूचना देगा कि लिखत ऐसे अनादृत कर दी गई है।

इस धारा की कोई भी बात यह आवश्यक नहीं करती है कि अनादृत वचन-पत्र के रचयिता को या अनादृत विनिमय-पत्र या चेक के ऊपरवाल या प्रतिगृहीता को सूचना दी जाए।

94. वह रीति जिसमें सूचना दी जा सके—अनादर की सूचना उस व्यक्ति के, जिसको उसका दिया जाना अपेक्षित है, सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता को या जहां कि वह व्यक्ति मर गया है वहां उसके विधिक प्रतिनिधि को या जहां कि वह दिवालिया घोषित कर दिया गया है वहां उसके समनुदेशिनी को दी जा सकेगी, वह मौखिक या लिखित हो सकेगी; यदि वह लिखित है तो डाक द्वारा भेजी जा सकेगी और किसी भी प्ररूप में हो सकेगी, किन्तु जिस पक्षकार को वह दी जाए उसको या तो अभिव्यक्त शब्दों में या युक्तियुक्त अर्थान्वयन से यह जानकारी देगी कि लिखत अनादृत हो गई है और किस प्रकार अनादृत हो गई है और यह कि वह उस पर दायी ठहराया जाएगा और वह अनादर के पश्चात् युक्तियुक्त समय के भीतर उस पक्षकार के, जिसके लिए कि वह आशयित है, कारबार के स्थान में या (उस दशा में, जिसमें ऐसे पक्षकार का कोई कारबार का स्थान नहीं है) उसके निवास-स्थान पर देनी होगी।

यदि सूचना डाक द्वारा ठीक पते पर भेजी जाती है और गलत जगह चली जाती है तो ऐसी गलत जगह चली जाने से वह सूचना अविधिमान्य नहीं हो जाती।

95. अनादर की सूचना पाने वाला पक्षकार उसे पारेषित करेगा—अनादर की सूचना पाने वाले किसी भी पक्षकार को इस गरज से कि वह किसी पूर्विक पक्षकार को अपने प्रति दायी करे अनादर की सूचना ऐसे पक्षकार को युक्तियुक्त समय के अंदर उस दशा के सिवाय देनी होगी जिसमें कि ऐसे पक्षकार को धारा 93 में उपबंधित सम्यक् सूचना अन्यथा प्राप्त हो गई है।

96. उपस्थापन के लिए अभिकर्ता—जबकि लिखत उपस्थापन के लिए अभिकर्ता के पास निक्षिप्त कर दी गई है तब अभिकर्ता अपने मालिक को सूचना देने के लिए उतने ही समय का हकदार है मानो वह अनादर की सूचना देने वाला धारक हो और मालिक अनादर की सूचना देने के लिए आगे उतनी ही कालावधि का हकदार हो जाता है।

97. जब कि वह पक्षकार जिसे सूचना दी गई है, मर गया है—जब कि वह पक्षकार, जिसे कि अनादर की सूचना भेजी गई है, मर गया है, किन्तु सूचना भेजने वाले पक्षकार को उसकी मृत्यु की जानकारी नहीं है तब वह सूचना पर्याप्त है।

98. अनादर की सूचना कब अनावश्यक है—अनादर की कोई भी सूचना—

- (क) तब आवश्यक नहीं है जब कि उसके हकदार पक्षकार को उसके दिए जाने से अभिमुक्ति दे दी है;
- (ख) लेखीवाल को भारित करने के लिए तब आवश्यक नहीं है, जब कि उसने संदाय प्रत्यादिष्ट कर दिया है;
- (ग) तब आवश्यक नहीं है जब कि भारित पक्षकार को कोई नुकसान सूचना के अभाव से नहीं हो सकता था;
- (घ) तब आवश्यक नहीं है जब कि सूचना का हकदार पक्षकार सम्यक् तलाश के पश्चात् नहीं पाया जा सकता या सूचना देने के लिए आबद्ध पक्षकार अपनी किसी त्रुटि के बिना उसे देने में अन्य कारणवश असमर्थ है;
- (ङ) लेखीवालों को भारित करने के लिए तब आवश्यक नहीं है जब कि प्रतिगृहीता उसका लेखीवाल भी है;
- (च) उस वचन-पत्र के बारे में आवश्यक नहीं है, जो परक्राम्य नहीं है;
- (छ) तब आवश्यक नहीं है जब कि सूचना का हकदार पक्षकार लिखत पर शोध्य रकम देने का अशर्त वचन तथ्यों को जानते हुए दे देता है।

अध्याय 9

टिप्पण और प्रसाक्ष्य के संबंध में

99. टिप्पण—जब कि वचन-पत्र या विनिमय-पत्र अप्रतिग्रहण द्वारा या असंदाय द्वारा अनादृत हो गया है तब धारक ऐसे अनादर का टिप्पण नोटरी पब्लिक से ऐसी लिखत पर या संलग्न कागज पर या भागतः एक पर और भागतः दूसरे पर करवा सकेगा।

ऐसा टिप्पण अनादर के पश्चात् युक्तियुक्त समय के भीतर किया जाना चाहिए और उसमें अनादर की तारीख, ऐसे अनादर के लिए दिया गया कारण, यदि कोई हो, या यदि लिखत अभिव्यक्ततः अनादृत नहीं की गई है तो वह कारण, जिसके लिए धारक उसे अनादृत मानता है, और नोटरी पब्लिक के प्रभार विनिर्दिष्ट किए जाने चाहिए।

100. प्रसाक्ष्य—जब कि वचन-पत्र या विनिमय-पत्र अप्रतिग्रहण या असंदाय द्वारा अनादृत हो गया है तब धारक ऐसे अनादर को नोटरी पब्लिक द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर टिप्पणित और प्रमाणित करा सकेगा। ऐसा प्रमाण प्रसाक्ष्य कहलाता है।

बेहतर प्रतिभूति के लिए प्रसाक्ष्य—जब कि विनिमय-पत्र का प्रतिगृहीता दिवालिया हो गया है या विनिमय-पत्र की परिपक्वता से पूर्व उसका प्रत्यय खुले आम अधिक्षेपित किया गया है तब धारक प्रतिगृहीता से बेहतर प्रतिभूति की मांग नोटरी पब्लिक से युक्तियुक्त समय के अन्दर करवा सकेगा और प्रतिभूति दिए जाने से इंकार किए जाने पर ऐसे तथ्यों को युक्तियुक्त समय के भीतर पूर्वोक्त जैसे टिप्पणित और प्रमाणित करवा सकेगा। ऐसा प्रमाण बेहतर प्रतिभूति के लिए प्रसाक्ष्य कहलाता है।

101. प्रसाक्ष्य की अन्तर्वस्तुएं—धारा 100 के अधीन प्रसाक्ष्य में अन्तर्विष्ट होने चाहिए—

(क) या तो स्वयं लिखत या लिखत की और जिसके ऊपर लिखी या मुद्रित हर बात की अक्षरशः अनुलिपि;

(ख) उस व्यक्ति का नाम जिसके लिए और जिसके विरुद्ध लिखत प्रसाक्ष्य की गई है;

(ग) यह कथन कि, यथास्थिति, संदाय या प्रतिग्रहण या बेहतर प्रतिभूति की मांग नोटरी पब्लिक द्वारा ऐसे व्यक्ति से की गई है; यदि उस व्यक्ति का कोई उत्तर है तो उस उत्तर के शब्द या यह कथन कि उसमें कोई उत्तर नहीं दिया था वह पाया नहीं जा सका;

(घ) जब कि वचन-पत्र या विनिमय-पत्र अनादृत किया गया है तब अनादर का स्थान और समय और जब कि बेहतर प्रतिभूति देने से इंकार किया गया है तब इंकार का स्थान और समय;

(ङ) प्रसाक्ष्य करने वाले नोटरी पब्लिक के हस्ताक्षर;

(च) आदरणार्थ प्रतिग्रहण या आदरणार्थ संदाय की दशा में उस व्यक्ति का नाम, जिस द्वारा, उस व्यक्ति का नाम जिसके लिए, और वह रीति, जिससे ऐसा प्रतिग्रहण या संदाय प्रस्थापित किया गया था और दिया गया था।

[नोटरी पब्लिक इस धारा के खंड (ग) में वर्णित मांग या तो स्वयं या अपने लिपिक द्वारा या, जहां कि करार या प्रथा से यह प्राधिकृत है वहां, रजिस्ट्रीकृत चिट्ठी द्वारा कर सकेगा।]

102. प्रसाक्ष्य की सूचना—जब कि वचन-पत्र या विनिमय-पत्र का प्रसाक्ष्य कराया जाना विधि द्वारा अपेक्षित है तब ऐसे प्रसाक्ष्य की सूचना उसी रीति में और उन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए अनादर की सूचना के बदले में देनी होगी किन्तु वह सूचना उस नोटरी पब्लिक द्वारा दी जा सकेगी जो प्रसाक्ष्य करता है।

103. अप्रतिग्रहण द्वारा अनादर के पश्चात् असंदाय के लिए प्रसाक्ष्य—वे सब विनिमय-पत्र, जो ऊपरवाल के निवास-स्थान के तौर पर वर्णित स्थान से भिन्न किसी अन्य स्थान में देय लिखे गए हैं, और जो अप्रतिग्रहण द्वारा अनादृत हो गए हैं, ऊपरवाल को आगे कोई और उपस्थापन के बिना उस स्थान में, जो संदाय के लिए विनिर्दिष्ट है, असंदाय के लिए प्रसाक्ष्य किए जा सकेंगे यदि उनका संदाय परिपक्वता के पूर्व या परिपक्वता पर न कर दिया गया हो।

104. विदेशी विनिमय-पत्रों का प्रसाक्ष्य—विदेशी विनिमय-पत्र उस दशा में अनादर के लिए प्रसाक्ष्य होंगे जिसमें कि ऐसा प्रसाक्ष्य उस स्थान की विधि द्वारा अपेक्षित है, जहां वे लिखे गए हैं।

104क. टिप्पण कब प्रसाक्ष्य के समतुल्य होता है—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए जहां कि विनिमय-पत्र या वचन-पत्र के लिए यह अपेक्षित है कि वह एक विनिर्दिष्ट समय के अन्दर या आगे कोई और कार्यवाही की जाने से पूर्व प्रसाक्ष्य कराया जाए वहां यह पर्याप्त है कि वह विनिमय-पत्र विनिर्दिष्ट समय के अवसान से पूर्व या कार्यवाही करने के पूर्व प्रसाक्ष्य के लिए टिप्पणित कर दिया जाए और तत्पश्चात् किसी भी समय प्ररूपित प्रसाक्ष्य टिप्पण की तारीख को किए गए के तौर पर पूरा किया जा सकेगा।]

अध्याय 10

युक्तियुक्त समय के विषय में

105. युक्तियुक्त समय—प्रतिग्रहण या संदाय के लिए उपस्थापन के लिए, अनादर की सूचना देने के लिए और टिप्पण के लिए युक्तियुक्त समय कौन सा है यह अवधारण करने में लिखत की प्रकृति और वैसी ही लिखतों के बारे में व्यवहार की प्रायिक चर्या को ध्यान में रखा जाएगा, और ऐसे समय की गणना करने में लोक अवकाश दिनों को अपवर्जित किया जाएगा।

¹ 1885 के अधिनियम सं० 2 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित।

² 1885 के अधिनियम सं० 2 की धारा 6 द्वारा अंतःस्थापित।

106. अनादर की सूचना देने का युक्तियुक्त समय—यदि धारक और वह पक्षकार, जिसे अनादर की सूचना दी जाती है, यथास्थिति, विभिन्न स्थानों में कारबार करते हों या रहते हों तो यदि ऐसी सूचना अगली डाक से या अनादर के दिन के पश्चात् अगले दिन भेज दी गई हो तो वह युक्तियुक्त समय के अन्दर दी गई है।

यदि उक्त पक्षकार एक ही स्थान में कारबार करते हों या रहते हों तो यदि ऐसी सूचना इतने समय में भेज दी गई हो कि वह अनादर के दिन के पश्चात् अगले दिन अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाए तो वह युक्तियुक्त समय के अन्दर दी गई है।

107. ऐसी सूचना के पारेषण के लिए युक्तियुक्त समय—अनादर की सूचना पाने वाला जो पक्षकार किसी पूर्विक पक्षकार के विरुद्ध अपने अधिकार को प्रवृत्त करना चाहता है, यदि उसने उसकी प्राप्ति के पश्चात् उतने ही समय के अन्दर उसे पारेषित कर दिया हो जितना सूचना देने के लिए उसे मिलता, यदि वह धारक होता, तो उसने सूचना युक्तियुक्त समय के अन्दर पारेषित कर दी है।

अध्याय 11

आदरणार्थ प्रतिग्रहण और संदाय के विषय में तथा आवश्यकता की दशा में निर्देशन के विषय में

108. आदरणार्थ प्रतिग्रहण—जबकि विनिमय-पत्र पर अप्रतिग्रहण या बेहतर प्रतिभूति के लिए टिप्पणित या प्रसाक्षित कर दिया गया है तब ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो उस पर पहले से दायी पक्षकार नहीं है, विनिमय-पत्र पर लेख द्वारा उसे धारक की सम्मति से उसके किसी भी पक्षकार के आदरणार्थ प्रतिगृहीत कर सकेगा ^{1***}।

109. आदरणार्थ प्रतिग्रहण कैसे करना चाहिए—जो व्यक्ति आदरणार्थ प्रतिग्रहण करना चाहता है उसे ²[विनिमय-पत्र पर अपने हस्ताक्षर करके लिखित रूप में] घोषणा करनी होगी कि वह प्रसाक्षित विनिमय-पत्र का प्रतिग्रहण लेखीवाल के या किसी विशिष्ट पृष्ठांकक के, जिसका वह नाम दे, आदरणार्थ या असाधारणतः आदरणार्थ प्रसाक्ष्याधीन करता है ^{3***}।

110. यह विनिर्दिष्ट किए बिना कि प्रतिग्रहण करके आदरणार्थ किया गया है, प्रतिग्रहण—जहां कि प्रतिग्रहण यह अभिव्यक्त नहीं करता है कि वह किसके आदरणार्थ किया गया है, वहां वह लेखीवाल के आदरणार्थ किया गया समझा जाएगा।

111. आदरणार्थ प्रतिगृहीता का दायित्व—आदरणार्थ प्रतिगृहीता उन सब पक्षकारों के प्रति, जो उस पक्षकार के पश्चात्पूर्वी हैं जिसके आदरणार्थ उसने उसे प्रतिगृहीत किया है, अपने को इस बात के लिए आबद्ध करता है कि यदि ऊपरवाल विनिमय-पत्र की रकम का संदाय न करे तो वह उसका संदाय करेगा, और ऐसा पक्षकार और उससे पूर्विक सब पक्षकार उसे उस सब हानि या नुकसान के लिए, जो आदरणार्थ प्रतिगृहीता ने वैसे प्रतिग्रहण के परिणामस्वरूप उठाया है अपनी क्रमिक हैसियतों में प्रतिकर देने के दायी हैं।

किन्तु आदरणार्थ प्रतिगृहीता विनिमय-पत्र के धारक के प्रति तब के सिवाय दायी न होगा जबकि विनिमय-पत्र का उपस्थापन या उस दशा में, जिसमें कि प्रतिगृहीता ने विनिमय-पत्र पर जो पता दिया है वह स्थान उस स्थान से भिन्न है जहां कि विनिमय-पत्र देय होना रचित है विनिमय-पत्र का उपस्थापन के लिए अग्रेषण उसकी परिपक्वता के दिन के पश्चात् के अगले दिन से परवर्ती न होने वाले दिन कर दिया जाता है।

112. आदरणार्थ प्रतिगृहीता कब भारित किया जा सकेगा—आदरणार्थ प्रतिगृहीता भारित नहीं किया जा सकेगा जब तक कि विनिमय-पत्र उसकी परिपक्वता पर संदाय के लिए ऊपरवाल को उपस्थापित न किया गया हो और एतद्द्वारा अनादृत न कर दिया गया हो और ऐसे अनादर के लिए टिप्पणित या प्रसाक्षित न किया गया हो।

113. आदरणार्थ संदाय—जब कि विनिमय-पत्र असंदाय के लिए टिप्पणित या प्रसाक्षित किया जा चुका है, तब कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी पक्षकार के आदरणार्थ उसका संदाय कर सकेगा जो उसका संदाय करने का दायी है, परन्तु यह तब जब कि ऐसा संदाय करने वाले व्यक्ति ने ⁴[या तन्निमित्त उसके अभिकर्ता] ने नोटरी पब्लिक के समक्ष उस पक्षकार की पूर्व में ही घोषणा कर दी हो जिसके आदरणार्थ वह संदाय करता है और ऐसी घोषणा उस नोटरी पब्लिक द्वारा अभिलिखित कर दी गई हो।

114. आदरणार्थ संदाय करने वाले का अधिकार—ऐसे संदाय करने वाला कोई भी व्यक्ति विनिमय-पत्र के बारे में उन सब अधिकारों का हकदार है जो ऐसे संदाय के समय धारक के हैं और उस पक्षकार से, जिसके आदरणार्थ उसने संदाय किया है, इस भांति संदत्त सब राशियों को उन पर व्याज सहित और ऐसा संदाय करने में समुचित रूप से उपगत सब व्ययों सहित वसूल कर सकेगा।

115. जिकरीवाल—जहां कि विनिमय-पत्र में या उस पर के किसी पृष्ठांकन में जिकरीवाल नामित है वहां जब तक विनिमय-पत्र ऐसे जिकरीवाल द्वारा अनादृत न कर दिया गया हो वह अनादृत नहीं होता।

116. बिना प्रसाक्ष्य के प्रतिग्रहण और संदाय—जिकरीवाल पूर्व प्रसाक्ष्य के बिना विनिमय-पत्र का प्रतिग्रहण और संदाय कर सकेगा।

¹ 1885 के अधिनियम सं० 2 की धारा 7 द्वारा द्वितीय वाक्य निरसित किया गया।

² 1885 के अधिनियम सं० 2 की धारा 8 द्वारा "नोटरी पब्लिक की उपस्थिति में पत्र को अपने हस्ताक्षर से लिखित रूप में, और" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ 1885 के अधिनियम सं० 2 की धारा 8 द्वारा "और ऐसी घोषणा नोटरी द्वारा अपने रजिस्टर में अवश्य अभिलिखित करेगा" शब्द निरसित किए गए।

⁴ 1885 के अधिनियम सं० 2 की धारा 9 द्वारा अंतःस्थापित।

अध्याय 12

प्रतिकर के विषय में

117. प्रतिकर के बारे में नियम—धारक या किसी पृष्ठांकिकी के प्रति दायित्वाधीन किसी भी पक्षकार द्वारा वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चेक का अनादर किए जाने की दशा में ¹*** देय प्रतिकर निम्नलिखित नियमों द्वारा अवधारित किया जाएगा :—

(क) धारक लिखत पर शोध्य रकम, उसे उपस्थापित करने, और टिप्पणित और प्रसाक्षित कराने में उचित तौर पर उपगत व्ययों सहित पाने का हकदार है;

(ख) जबकि भारित व्यक्ति उस स्थान से भिन्न स्थान में रहता है जिसमें कि लिखत देय थी तब धारक ऐसी रकम दोनों स्थानों के बीच विनिमय की चालू दर पर पाने का हकदार है;

(ग) जिस पृष्ठांकिक ने दायित्वाधीन होते हुए उस पर शोध्य रकम का संदाय किया है वह ऐसी संदत्त रकम संदाय की तारीख से उसके निविदान या आपन की तारीख तक ²[अठारह प्रतिशत] प्रति वर्ष व्याज सहित तथा अनादर और संदाय के कारण हुए सब व्ययों सहित पाने का हकदार है;

(घ) जब कि भारित व्यक्ति और ऐसा पृष्ठांकिक विभिन्न स्थानों में निवास करते हैं तब पृष्ठांकिक ऐसी रकम दोनों स्थानों के बीच विनिमय की चालू दर पर पाने का हकदार है;

(ङ) प्रतिकर का हकदार पक्षकार अपने को देय प्रतिकर के दायित्वाधीन पक्षकार पर, दर्शन पर या मांग पर संदेय विनिमय-पत्र अपने द्वारा उचित तौर पर उपगत सब व्ययों सहित अपने को शोध्य रकम के लिए लिख सकेगा। ऐसे विनिमय-पत्र के साथ अनादृत लिखत और उसका प्रसाक्ष्य (यदि कोई हो) होना चाहिए। यदि ऐसा विनिमय-पत्र अनादृत किया जाता है तो उसका अनादर करने वाला पक्षकार उसके लिए प्रतिकर उसी प्रकार से देने के लिए दायित्वाधीन है जैसा कि वह मूल विनिमय-पत्र की दशा में होता है।

अध्याय 13

साक्ष्य के विशेष नियम

118. परक्राम्य लिखत के बारे में उपधारणाएं—जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, निम्नलिखित उपधारणाएं की जाएंगी :—

(क) **प्रतिफल के विषय में**—यह कि हर एक परक्राम्य लिखत प्रतिफलार्थ रचित या लिखी गई थी और यह कि हर ऐसी लिखत जब प्रतिगृहीत, पृष्ठांकित, परक्रामित या अन्तरित हो चुकी हो तब वह प्रतिफलार्थ, प्रतिगृहीत, पृष्ठांकित, परक्रामित या अन्तरित की गई थी;

(ख) **तारीख के बारे में**—यह कि ऐसी हर परक्राम्य लिखत जिस पर तारीख पड़ी है, ऐसी तारीख को रचित या लिखी गई थी;

(ग) **प्रतिग्रहण के समय के बारे में**—यह कि हर प्रतिगृहीत विनिमय-पत्र उसकी तारीख के पश्चात् युक्तियुक्त समय के अन्दर और उसकी परिपक्वता के पूर्व प्रतिगृहीत किया गया था;

(घ) **अन्तरण के समय के बारे में**—यह कि परक्राम्य लिखत का हर अन्तरण उसकी परिपक्वता के पूर्व किया गया था;

(ङ) **पृष्ठांकनों के क्रम के बारे में**—यह कि परक्राम्य लिखत पर विद्यमान पृष्ठांकन उस क्रम में किए गए थे जिसमें वे उस पर विद्यमान हैं;

(च) **स्टाम्प के बारे में**—यह कि खोया गया वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चेक सम्यक् रूप से स्टाम्पित था;

(छ) **यह कि धारक सम्यक्-अनुक्रम-धारक है**—यह कि परक्राम्य लिखत का धारक सम्यक्-अनुक्रम-धारक है, परन्तु जहां कि लिखत उसके विधिपूर्ण स्वामी से या उसकी विधिपूर्ण अभिरक्षा रखने वाले किसी व्यक्ति से अपराध या कपट द्वारा अभिप्राप्त की गई है अथवा उसके रचयिता या प्रतिगृहीता से अपराध या कपट द्वारा अभिप्राप्त या विधिविरुद्ध प्रतिफल के लिए अभिप्राप्त की गई है वहां यह साबित करने का भार कि धारक सम्यक्-अनुक्रम-धारक है, उस पर है।

119. प्रसाक्ष्य के साबित होने पर उपधारणा—उस लिखत के आधार पर जो अनादृत कर दी गई है, बाद में न्यायालय पर साक्ष्य के साबित हो जाने पर अनादर के तथ्य की उपधारणा करेगा यदि और जब तक कि ऐसा तथ्य नासाबित नहीं कर दिया जाता।

¹ 1926 के अधिनियम सं० 30 की धारा 3 द्वारा “(सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 532 द्वारा जैसा उपबंध है उन मामलों के सिवाय)” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों का लोप किया गया।

² 1988 के अधिनियम सं० 66 की धारा 3 द्वारा (30-12-1988 से) “छह प्रतिशत” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

120. लिखत की मूल विधिमान्यता का प्रत्याख्यान करने के विरुद्ध विबन्ध—वचन-पत्र या कोई भी रचयिता और विनिमय-पत्र या चेक का कोई भी लेखीवाल और लेखीवाल के आदरणार्थ विनिमय-पत्र का कोई भी प्रतिगृहीता सम्यक्-अनुक्रम-धारक द्वारा उसके आधार पर किए गए वाद में लिखत की, जैसी कि वह मूलतः रची या लिखी गई थी, विधिमान्यता का प्रत्याख्यान करने के लिए अनुज्ञात न होगा।

121. पाने वाले की पृष्ठांकन की सामर्थ्य की प्रत्याख्यान करने के विरुद्ध विबन्ध—वचन-पत्र का कोई भी रचयिता और ¹[आदेशानुसार देय] विनिमय-पत्र का कोई प्रतिगृहीता सम्यक्-अनुक्रम-धारक द्वारा उसके आधार पर किए गए वाद में उस वचन-पत्र या विनिमय-पत्र की तारीख पर उसे पृष्ठांकित करने की पाने वाले की सामर्थ्य का प्रत्याख्यान करने के लिए अनुज्ञात न होगा।

122. पूर्विक पक्षकार के हस्ताक्षर या सामर्थ्य का प्रत्याख्यान करने के विरुद्ध विबन्ध—परक्राम्य लिखत का कोई भी पृष्ठांकक किसी पश्चात्वर्ती धारक द्वारा उसके आधार पर किए गए वाद में उस लिखत के किसी भी पूर्विक पक्षकार के हस्ताक्षर या उसकी संविदा करने की सामर्थ्य का प्रत्याख्यान करने के लिए अनुज्ञात न होगा।

अध्याय 14

क्रास चेकों के विषय में

123. साधारणतः क्रास किया हुआ चेक—जहां कि चेक पर उसके मुख भाग को काटती हुई दो समानान्तर आड़ी रेखाओं के बीच “और कम्पनी” शब्द या उनका कोई संक्षेपाक्षर या केवल दो समानान्तर आड़ी रेखाएं “परक्राम्य नहीं है” शब्दों के सहित या बिना बढ़ा दिए गए हैं वहां ऐसा बढ़ाना क्रास करना समझा जाएगा और वह चेक साधारणतः क्रास किया हुआ समझा जाएगा।

124. विशेषतः क्रास किया हुआ चेक—जहां कि चेक पर उसके मुख भाग को काटते हुए बैंककार का नाम “परक्राम्य नहीं है” शब्दों के सहित या बिना बढ़ा दिया गया है वहां ऐसा बढ़ाना क्रास करना समझा जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह चेक विशेषतः क्रास किया गया है और उस बैंककार के पक्ष में क्रास किया गया है।

125. चेक काटने के पश्चात् उसे क्रास करना—जहां कि चेक क्रास किया हुआ नहीं है वहां धारक उसे साधारणतः या विशेषतः क्रास कर सकेगा।

जहां कि चेक साधारणतः क्रास किया हुआ है वहां धारक उसे विशेषतः क्रास कर सकेगा।

जहां कि चेक साधारणतः या विशेषतः क्रास किया हुआ है वहां धारक उसमें “परक्राम्य नहीं है” शब्द बढ़ा सकेगा।

जहां कि चेक विशेषतः क्रास किया हुआ है वहां वह बैंककार जिसके पक्ष में वह क्रास किया हुआ है, उसे संग्रह करने के लिए अपने अभिकर्ता के रूप में दूसरे बैंककार के पक्ष में पुनः विशेषतः क्रास कर सकेगा।

126. साधारणतः क्रास किए हुए चेक का संदाय—जहां कि चेक साधारणतः क्रास किया हुआ है वहां वह बैंककार, जिस पर वह लिखा हुआ है, उसका संदाय किसी बैंककार को करने से अन्यथा न करेगा।

विशेषतः क्रास किए हुए चेक का संदाय—जहां कि चेक विशेषतः क्रास किया हुआ है वहां वह बैंककार, जिस पर वह लिखा गया है, उसका संदाय उस बैंककार को जिसके पक्ष में वह क्रास किया हुआ है, या संग्रह करने के लिए उसके अभिकर्ता को करने से अन्यथा न करेगा।

127. एक से अधिक बार विशेषतः क्रास किए हुए चेक का संदाय—जहां कि चेक एक से अधिक बैंककारों के पक्ष में विशेषतः क्रास किया गया है वहां तब के सिवाय जब कि वह संग्रह करने के प्रयोजन के लिए अभिकर्ता को क्रास किया गया है, वह बैंककार, जिस पर वह लिखा गया है, उसका संदाय करने से इंकार करेगा।

128. क्रास चेक का सम्यक् अनुक्रम में संदाय—जहां कि उस बैंककार ने, जिस पर क्रास चेक लिखा गया है, उसका सम्यक् अनुक्रम में संदाय कर दिया है वहां चेक का संदाय करने वाला बैंककार और (ऐसा चेक पाने वाले के हाथ में आ जाने की दशा में) उसका लेखीवाल क्रमशः उन्हीं अधिकारों के हकदार होंगे और सभी पहलुओं से उसी स्थिति में रख दिए जाएंगे जिनके वह क्रमशः हकदार होते और रखे गए होते यदि चेक की रकम चेक के सही स्वामी को दे दी गई होती और उस द्वारा प्राप्त कर ली गई होती।

129. क्रास चेक का सम्यक् अनुक्रम के बाहर संदाय—कोई भी बैंककार जो साधारणतः क्रास किए गए चेक का संदाय किसी बैंककार को करने से अन्यथा करता है या विशेषतः क्रास किए हुए चेक का संदाय उस बैंककार को, जिसके पक्ष में वह क्रास किया गया है, या संग्रह करने के लिए उसके अभिकर्ता को, जो स्वयं बैंककार है, करने से अन्यथा करता है, वह चेक के सही स्वामी के प्रति उस हानि के लिए दायी होगा जो ऐसा स्वामी चेक का संदाय ऐसे किए जाने के कारण उठाए।

130. “परक्राम्य नहीं है” यह शब्द वाला चेक—साधारणतः या विशेषतः क्रास किए हुए ऐसे चेक को, जिस पर “परक्राम्य नहीं है” शब्द लिखे हैं, लेने वाला व्यक्ति उस चेक पर उससे बेहतर हक न रखेगा और न देने के लिए समर्थ होगा जैसा उस व्यक्ति का था जिससे उसने उसे लिया है।

¹ 1919 के अधिनियम सं० 8 की धारा 5 द्वारा “किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार, देय” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

131. चेक का संदाय प्राप्त करने वाले बैंककार का अदायित्व—जिस बैंककार ने अपने पक्ष में साधारणतः या विशेषतः क्रास किए हुए चेक का संदाय अपने व्यवहारी लेखे सद्भावपूर्वक और उपेक्षा बिना प्राप्त किया है वह बैंककार उस चेक पर हक के त्रुटिपूर्ण साबित होने की दशा में सही स्वामी के प्रति कोई दायित्व ऐसा संदाय प्राप्त करने के कारण ही उपगत न करेगा।

¹[स्पष्टीकरण 2][1]—बैंककार क्रास चेक का संदाय अपने किसी व्यवहारी लेखे इस धारा के अर्थ में प्राप्त करता है यद्यपि चेक का संदाय प्राप्त करने के पूर्व वह चेक की रकम अपने व्यवहारी के खाते में जमा कर देता है।]

³[स्पष्टीकरण 2]—उस बैंककार का, जो उसके पास धारित संक्षेपित चेक के इलैक्ट्रानिक प्रतिरूप के आधार पर संदाय प्राप्त करता है, यह कर्तव्य होगा कि वह संक्षेपित किए जाने वाले चेक की प्रथमदृष्ट्या असलियत का और लिखत के दृश्यमात्र से प्रकट किसी कपट, कूटरचना या छेड़दाड़ का, जिसका सत्यापन सम्यक् तत्परता और मामूली सावधानी से किया जा सकता है, सत्यापन कर ले।]

⁴[131क. ड्राफ्टों को अध्याय का लागू होना—इस अध्याय के उपबन्ध धारा 85क में यथापरिभाषित किसी भी ड्राफ्ट को ऐसे लागू होंगे मानो ड्राफ्ट चेक हो।]

अध्याय 15

जो विनिमय-पत्र संवर्ग में हैं उनके विषय में

132. विनिमय-पत्रों का संवर्ग—विनिमय-पत्र ऐसी मूल प्रतियों में लिखे जा सकेंगे जिनमें से हर एक संख्यांकित हो और जो यह उपबन्ध अन्तर्विष्ट रखता हो कि वह केवल उसी समय तक देय बना रहेगा जब तक कि अन्य असंदत्त रहते हैं। सब मूल प्रतियां मिलकर एक संवर्ग गठित करती हैं, किन्तु पूरे संवर्ग से केवल एक विनिमय-पत्र गठित होता है और वह तब निर्वापित हो जाता है जब उन प्रतियों में से कोई यदि एक पृथक् विनिमय-पत्र होता तो निर्वापित हो जाता।

अपवाद—जब कि कोई व्यक्ति विनिमय-पत्र की विभिन्न मूल प्रतियों को विभिन्न व्यक्तियों के पक्ष में प्रतिगृहीत करता या पृष्ठांकित करता है और तब वह और हर एक मूल प्रति का पश्चात्पूर्वी पृष्ठांकक ऐसी मूल प्रति पर ऐसे दायी होते हैं मानो वह पृथक् विनिमय-पत्र हों।

133. प्रथम अर्जित मूल प्रति का धारक सबका हकदार होता है—एक ही संवर्ग की विभिन्न मूल प्रतियों के सम्यक्-अनुक्रम-धारकों के बीच का जहां तक संबंध है उनमें से वह, जिसने अपनी मूल प्रति का हक सबसे पहले अर्जित किया, अन्य मूल प्रतियों का और विनिमय-पत्र के धन का हकदार होता है।

अध्याय 16

अन्तरराष्ट्रीय विधि के विषय में

134. विदेशी लिखत के रचयिता, प्रतिगृहीता या पृष्ठांकक के दायित्व को शासित करने वाली विधि—तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो विदेशी वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चेक के रचयिता या लेखीवाल का दायित्व सब आवश्यक बातों में उस स्थान की विधि द्वारा विनियमित होता है जहां उसने वह लिखत रची थी तथा प्रतिगृहीता और पृष्ठांकक के अपने-अपने दायित्व उस स्थान की विधि से विनियमित होते हैं जहां लिखत देय की गई है।

दृष्टांत

क द्वारा एक विनिमय-पत्र केलीफोर्निया में लिखा गया, जहां ब्याज की दर पच्चीस प्रतिशत है और वाशिंगटन में देय जहां ब्याज की दर छह प्रतिशत है, ख द्वारा प्रतिगृहीत किया गया। विनिमय-पत्र ⁵[भारत] में पृष्ठांकित किया गया है, और वह अनादृत हो गया। विनिमय-पत्र पर ख के विरुद्ध ⁵[भारत] में अनुयोजन लाया जाता है। वह केवल छह प्रतिशत की दर से ब्याज देने के दायित्व के अधीन है। किन्तु यदि क लेखीवाल के रूप में भारित किया जाता है तो वह पच्चीस प्रतिशत की दर से ब्याज देने के दायित्व के अधीन है।

135. संदाय के स्थान की विधि अनादर को शासित करती है—जहां कि वचन-पत्र, विनिमय-पत्र या चेक उस स्थान से भिन्न स्थान में देय किया गया है जिसमें वह रचित या पृष्ठांकित किया गया है वहां उस स्थान की विधि जहां वह देय किया गया है, अवधारित करती है कि अनादर किस बात से गठित होता है और अनादर की कैसी सूचना प्राप्त होती है।

दृष्टांत

एक विनिमय-पत्र, जो ⁵[भारत] में लिखा और पृष्ठांकित किया गया किन्तु फ्रांस में देय के तौर पर प्रतिगृहीत किया गया था, अनादृत हो जाता है। पृष्ठांकिकी ऐसे अनादर के लिए उसका प्रसाध्य कराता है और फ्रांस की विधि के अनुसार उसकी सूचना दे देता है

¹ 2002 के अधिनियम सं० 55 की धारा 6 द्वारा पुनःसंख्यांकित।

² 1922 के अधिनियम सं० 18 की धारा 2 द्वारा अन्तःस्थापित।

³ 2002 के अधिनियम सं० 55 की धारा 6 द्वारा अन्तःस्थापित।

⁴ 1947 के अधिनियम सं० 33 की धारा 2 द्वारा अन्तःस्थापित।

⁵ 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा “राज्यों” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

यद्यपि जो विनियम-पत्र विदेशी नहीं हैं उनके बारे में एतस्मिन् अन्तर्विष्ट नियमों के अनुसार वह सूचना नहीं है। तथापि वह सूचना पर्याप्त है।

136. भारत के बाहर किन्तु भारत की विधि के अनुसार रचित आदि लिखत—यदि परक्राम्य लिखत ¹[भारत के बाहर,] किन्तु ²[भारत की विधि] के अनुसार, रचित, लिखित, प्रतिगृहीत या पृष्ठांकित है तो इस बात से कि ऐसी लिखत जिस करार की साक्ष्य है। वह उस देश की विधि के अनुसार अविधिमान्य है जिसमें वह किया था, उस पर ³[भारत में] किया गया कोई पश्चात्कर्ती प्रतिग्रहण या पृष्ठांकन अविधिमान्य नहीं हो जाता।

137. विदेशी विधि के बारे में उपधारणा—वचन-पत्रों, विनियम-पत्रों और चेक संबंधी किसी भी विदेश ⁴**** की विधि के बारे में यह उपधारणा की जाएगी कि वह वैसी ही है जैसी कि ⁵[भारत] की है जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए।

⁶[अध्याय 17]

खातों में अपर्याप्त निधियों के कारण कतिपय चेकों के अनादरण की दशा में शास्तियां

138. खातों में अपर्याप्त निधियों, आदि के कारण चेक का अनादरण—जहां किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के लिए किसी बैंककार के पास अपने द्वारा रखे गए खाते में से किसी अन्य व्यक्ति को किसी धनराशि के संदाय के लिए लिखा गया कोई चेक बैंक द्वारा संदाय किए बिना या तो इस कारण लौटा दिया जाता है कि उस खाते में जमा धनराशि उस चेक का आदरण करने के लिए अपर्याप्त है या वह उस रकम से अधिक है जिसका बैंक के साथ किए गए करार द्वारा उस खाते में से संदाय करने करने का ठहराव किया गया है, वहां ऐसे व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपराध किया है और वह, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कारावास से, जिसकी अवधि ⁷[दो वर्ष] तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो चेक की रकम का दुगुना तक हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा :

परन्तु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात तब तक लागू नहीं होगी जब तक—

(क) वह चेक उसके, लिखे जाने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर या उसकी विधिमान्यता की अवधि के भीतर जो भी पूर्वतर हो, बैंक को प्रस्तुत न किया गया हो;

(ख) चेक का पाने वाला या धारक, सम्यक् अनुक्रम में चेक के लेखीवाल को, असंदत्त चेक के लौटाए जाने की बाबत बैंक से उसे सूचना की प्राप्ति के ⁸[तीस दिन] के भीतर, लिखित रूप में सूचना देकर उक्त धनराशि के संदाय के लिए मांग नहीं करता है; और

(ग) ऐसे चेक का लेखीवाल, चेक के पाने वाले को या धारक को उक्त सूचना की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर उक्त धनराशि का संदाय सम्यक् अनुक्रम में करने में असफल नहीं रहता है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “ऋण या अन्य दायित्व” से विधितः प्रवर्तनीय ऋण या अन्य दायित्व अभिप्रेत है।

139. धारक के पक्ष में उपधारणा—जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न हो, यह उपधारणा की जाएगी कि चेक के धारक ने धारा 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चेक किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के लिए प्राप्त किया है।

140. प्रतिरक्षा, जो धारा 138 के अधीन किसी अभियोजन में अनुज्ञात नहीं की जा सकेगी—धारा 138 के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन में यह कोई प्रतिरक्षा नहीं होगी कि जब लेखीवाल ने चेक जारी किया था तब उसके पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं था कि चेक का, प्रस्तुत किए जाने पर, उस धारा में कथित कारणों से अनादरण हो सकता है।

141. कंपनियों द्वारा अपराध—(1) यदि धारा 138 के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कंपनी है तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे अपराध के लिए दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

¹ भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948, विधि अनुकूलन आदेश, 1950 और 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा “ब्रिटिश भारत के बाहर” शब्द अनुक्रमशः प्रतिस्थापित होकर उपरोक्त रूप में आए।

² भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948, विधि अनुकूलन आदेश, 1950 और 1951 के अधिनियम सं० 3 द्वारा “ब्रिटिश भारत की विधि” शब्द अनुक्रमशः प्रतिस्थापित होकर उपरोक्त रूप में आए।

³ भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948, विधि अनुकूलन आदेश, 1950 और 1951 के अधिनियम सं० 3 द्वारा “ब्रिटिश भारत में” शब्द अनुक्रमशः प्रतिस्थापित होकर उपरोक्त रूप में आए।

⁴ 1956 के अधिनियम सं० 62 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा “या जम्मू-कश्मीर राज्य” शब्दों का लोप किया गया।

⁵ भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948, विधि अनुकूलन आदेश, 1950 और 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा “ब्रिटिश भारत” शब्द अनुक्रमशः प्रतिस्थापित होकर उपरोक्त रूप में आए।

⁶ 1988 के अधिनियम सं० 66 की धारा 4 द्वारा (1-4-989 से) अन्तःस्थापित।

⁷ 2002 के अधिनियम सं० 55 की धारा 7 द्वारा (6-2-2003 से) “एक वर्ष” प्रतिस्थापित।

⁸ 2002 के अधिनियम सं० 53 की धारा 7 द्वारा (6-2-2003 से) “पंद्रह दिन” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने ऐसे अपराध के निवारण के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी :

¹[परंतु यह और कि जहां किसी व्यक्ति को, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी वित्त निगम में कोई पद धारण करने या नियोजन में रहने के कारण किसी कंपनी के निदेशक के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाता है, वहां वह इस अध्याय के अधीन अभियोजन का भागी नहीं होगा।]

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी, उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “कंपनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम है; और

(ख) किसी फर्म के संबंध में, “निदेशक” से उस फर्म का कोई भागीदार अभिप्रेत है।

142. अपराधों का संज्ञान—²[(1)] दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) कोई भी न्यायालय धारा 138 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान, चेक के पाने वाले या धारक द्वारा सम्यक् अनुक्रम में किए गए लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं;

(ख) ऐसा परिवाद उस तारीख के एक मास के भीतर किया जाता है जिसको धारा 138 के परंतुक के खंड (ग) के अधीन वाद हेतुक उद्भूत होता है :

³[परंतु न्यायालय द्वारा किसी परिवाद का संज्ञान विहित अवधि के पश्चात् लिया जा सकेगा यदि परिवादी न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर परिवाद नहीं करने का पर्याप्त कारण था ;]

(ग) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय धारा 138 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

⁴[(2) धारा 138 के अधीन दंडनीय अपराध की जांच और उसका विचारण, केवल ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर,—

(क) यदि चेक किसी खाते के माध्यम से संग्रहण के लिए परिदत्त किया जाता है तो, बैंक की शाखा जहां पर, यथास्थिति, सम्यक् अनुक्रम में, पाने वाला या धारक खाता बनाए रखता है, स्थित है; या

(ख) यदि चेक, सम्यक् अनुक्रम में, पाने वाले या धारक द्वारा, संदाय के लिए खाते के माध्यम से अन्यथा प्रस्तुत किया जाता है, ऊपरवाल की बैंक की शाखा, जहां पर लेखीवाल खाता बनाए रखता है, स्थित है।

स्पष्टीकरण—खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, जहां कोई चेक सम्यक् अनुक्रम में पाने वाले या धारक के बैंक की किसी शाखा में संग्रहण के लिए परिदत्त किया जाता है वहां चेक बैंक की उस शाखा में परिदत्त किया गया समझा जाएगा जिसमें, यथास्थिति, पाने वाला या धारक, सम्यक् अनुक्रम में, खाता बनाए रखता है।

⁵[**142क. लंबित मामलों के अंतरण का विधिमान्यकरण**—(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परक्राम्य लिखत (संशोधन) अध्यादेश, 2015 द्वारा यथा संशोधित धारा 142 की उपधारा (2) के अधीन अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को अन्तरित सभी मामले इस अधिनियम के अधीन इस प्रकार अंतरित किए जाएंगे मानो वह उपधारा सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त थी।

(2) धारा 142 की उपधारा (2) या उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां सम्यक् अनुक्रम में, यथास्थिति, पाने वाले ने या धारक ने, धारा 142 की उपधारा (2) के अधीन अधिकारिता रखने वाले न्यायालय में किसी चेक के लेखीवाल के विरुद्ध कोई परिवाद फाइल किया है या उपधारा (1) के अधीन मामला उस न्यायालय को अंतरित किया गया है और ऐसा परिवाद उस न्यायालय में लंबित है, वहां उसी लेखीवाल के विरुद्ध धारा 138 से उद्भूत होने वाले सभी पश्चात्कर्ती परिवाद, इस बात पर विचार किए बिना कि क्या वे चेक उस न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर संग्रहण के लिए परिदत्त या संदाय के लिए प्रस्तुत किए गए थे, उसी न्यायालय के समक्ष फाइल किए जाएंगे।

¹ 2002 के अधिनियम सं० 55 की धारा 8 द्वारा (6-2-2003 से) अंतःस्थापित।

² 2015 के अधिनियम सं० 26 की धारा 3 द्वारा पुनःसंख्यांकित।

³ 2002 के अधिनियम सं० 55 की धारा 9 द्वारा अंतःस्थापित।

⁴ 2015 के अधिनियम सं० 26 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित।

⁵ 2015 के अधिनियम सं० 26 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित।

(3) यदि परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारंभ की तारीख को, यथास्थिति, उसी पाने वाले या धारक द्वारा सम्यक् अनुक्रम में चेकों के उसी लेखीवाल के विरुद्ध फाइल किए गए एक से अधिक अभियोजन भिन्न-भिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं, तो न्यायालय की अवस्था में उक्त तथ्य लाए जाने पर, वह न्यायालय परक्राम्य लिखत (संशोधन) अध्यादेश, 2015 द्वारा यथा संशोधित धारा 142 की उपधारा (2) के अधीन अधिकारिता रखने वाले ऐसे न्यायालय को, जिसके समक्ष पहला मामला फाइल किया गया था और लंबित है, वह मामला इस प्रकार अंतरित कर देगा, मानो वह उपधारा सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त थी।]

¹[143. न्यायालय की मामलों का संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति—(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय के अधीन सभी अपराधों का विचारण प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा और उक्त संहिता की धारा 262 से धारा 265 के उपबंध (दोनों धाराओं को सम्मिलित करते हुए), जहां तक हो सके, ऐसे विचारणों को लागू होंगे :

परंतु इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण में किसी दोषसिद्धि की दशा में, मजिस्ट्रेट के लिए ऐसे कारावास का, जिसकी अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और ऐसे जुर्माने का जिसकी रकम पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होगी, दंडादेश पारित करना विधिपूर्ण होगा :

परंतु यह और कि इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण के प्रारंभ पर या उसके दौरान जब मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि मामले की प्रकृति ऐसी है कि एक वर्ष से अधिक अवधि के कारावास का दंडादेश पारित किया जा सकता है या यह कि किसी अन्य कारण से, मामले का संक्षिप्त रूप में विचारण किया जाना अवांछनीय है तो मजिस्ट्रेट पक्षकारों को सुनने के पश्चात्, उस आशय का आदेश अभिलिखित करेगा और तत्पश्चात् ऐसे किसी साक्षी को वापस बुलाएगा जिसकी परीक्षा की जा चुकी है और उक्त संहिता में उपबंधित रीति से मामले को सुनने या पुनः सुनने के लिए अग्रसर होगा।

(2) इस धारा के अधीन किसी मामले का विचारण, यथासाध्य, अवरोध न्याय के हित में उसके समापन तक दिन प्रतिदिन जारी रखा जाएगा। जब तक कि न्यायालय लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से विचारण का अगले दिन से परे के लिए स्थगित किया जाना आवश्यक नहीं समझता है।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक विचारण यथासंभव शीघ्रता से संचालित किया जाएगा और विचारण को परिवाद फाइल करने की तारीख से छह मास के भीतर समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा।

²[143क. अंतरिम प्रतिकर का निदेश देने की शक्ति—(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 138 के अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय चेक के लेखीवाल को—

(क) संक्षिप्त विचारण या समन मामले में, जहां उसने परिवाद में किए गए अभियोग का दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया हो ; और

(ख) अन्य किसी मामले में, आरोप विरचित किए जाने पर, परिवादी को अंतरिम प्रतिकर का संदाय करने का आदेश दे सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अंतरिम प्रतिकर चेक की रकम के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(3) अंतरिम प्रतिकर का संदाय, उपधारा (1) के अधीन जारी आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर या चेक के लेखीवाल द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर तीस दिन से अनधिक की ऐसी और अवधि के भीतर, जिसका न्यायालय द्वारा निदेश दिया जाए, किया जाएगा।

(4) यदि चेक के लेखीवाल को दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो न्यायालय परिवादी को प्रतिकर की अंतरिम रकम लेखीवाल को, आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर या परिवादी द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर तीस दिन से अनधिक की ऐसी और अवधि के भीतर, जिसका न्यायालय द्वारा निदेश दिया जाए, सुसंगत वित्तीय वर्ष के प्रारंभ पर प्रचलित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा प्रकाशित बैंक दर से व्याज सहित प्रतिसंदाय करने का निदेश देगा।

(5) इस धारा के अधीन संदेय अंतरिम प्रतिकर इस प्रकार वसूल किया जा सकेगा, मानो यह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 421 के अधीन कोई जुर्माना था।

(6) धारा 138 के अधीन अधिरोपित जुर्माने की रकम या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 357 के अधीन अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम में से इस धारा के अधीन अंतरिम प्रतिकर के रूप में संदत्त या वसूल की गई रकम घटा दी जाएगी।]

144. समनों की तामील करने की रीति—(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, और इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, किसी अभियुक्त या साक्षी को समन जारी करते हुए कोई मजिस्ट्रेट समन की एक प्रति उस स्थान पर स्पीड पोस्ट या ऐसी कूरियर सेवाओं के द्वारा जो सेशन न्यायालय द्वारा अनुमोदित है, तामील करने का निदेश दे सकेगा जहां ऐसा अभियुक्त या साक्षी मामूली तौर से निवास करता है या कारबार करता है या लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है।

¹ 2002 के अधिनियम सं० 55 की धारा 10 द्वारा अंतःस्थापित।

² 2018 के अधिनियम सं० 20 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

(2) जहां ऐसी कोई अभिस्वीकृति, जिसका किसी अभियुक्त या साक्षी द्वारा हस्ताक्षरित की जानी तात्पर्यित है या उसका पृष्ठांकन डाक विभाग या कूरियर सेवाओं द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किया गया इस प्रकार तात्पर्यित है कि अभियुक्त या साक्षी ने समन लेने से इन्कार कर दिया है, प्राप्त हुई है, वहां समन जारी करने वाला न्यायालय यह घोषित कर सकेगा कि समन की सम्यक् रूप से तामील हो गई है।

145. शपथपत्र पर साक्ष्य—(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, परिवादी का साक्ष्य उसके द्वारा शपथपत्र पर दिया जा सकेगा और सभी न्यायसंगत अपवादों के अधीन उक्त संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य में पढ़ा जा सकेगा।

(2) न्यायालय, यदि वह उचित समझे, अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर ऐसे किसी व्यक्ति को जो शपथपत्र पर साक्ष्य देता है, समन करेगा और उसमें अंतर्विष्ट तथ्यों के बारे में उसकी परीक्षा करेगा।

146. बैंक की पर्ची का कतिपय तथ्यों के लिए प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य होना—न्यायालय इस अध्याय के अधीन प्रत्येक कार्यवाही के संबंध में बैंक की पर्ची या ज्ञापन के, जिसमें यह द्योतन करने वाला शासकीय चिह्न हो कि चेक अनादरित हो गया है, प्रस्तुत किए जाने पर ऐसे चेक का अनादर होने के तथ्य की अवधारणा करेगा जब तक कि ऐसे तथ्य को नासाबित न कर दिया गया हो।

147. अपराध का शमनीय होना—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध शमनीय होगा।]

¹**148. दोषसिद्ध के विरुद्ध अपील के लंबित रहते संदाय का आदेश करने की अपील न्यायालय की शक्ति**—(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 138 के अधीन दोषसिद्धि के विरुद्ध लेखीवाल द्वारा की गई किसी अपील में अपील न्यायालय, अपीलार्थी को ऐसी राशि जमा कराने का आदेश कर सकेगा, जो विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत जुर्माना या प्रतिकर का न्यूनतम बीस प्रतिशत होगी :

परंतु इस धारा के अधीन संदेय रकम, धारा 143क के अधीन अपीलार्थी द्वारा संदत्त किसी भी अंतरिम प्रतिकर के अतिरिक्त होगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रकम, आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर या अपीलार्थी द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर तीस दिन से अनधिक की ऐसी और अवधि के भीतर, जिसका न्यायालय द्वारा निदेश दिया जाए, जमा कराई जाएगी।

(3) अपील न्यायालय, अपील के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय अपीलार्थी द्वारा जमा की गई रकम को परिवादी को देने का निदेश दे सकेगा :

परंतु यदि अपीलार्थी दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो न्यायालय, परिवादी को, आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर या परिवादी द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर तीस दिन से अनधिक की ऐसी और अवधि के भीतर, जिसका न्यायालय द्वारा निदेश दिया जाए, सुसंगत वित्तीय वर्ष के प्रारंभ पर प्रचलित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा प्रकाशित बैंक दर पर ब्याज सहित इस प्रकार दी गई रकम का अपीलार्थी को प्रतिसंदाय करने का निदेश देगा।]

अनुसूची—[अधिनियमितियों का निरसन।]—संशोधन अधिनियम, 1891 (1891 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 2 तथा अनुसूची 1, भाग 1 द्वारा निरसित।

¹ 2018 के अधिनियम सं० 20 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित।